पंजीकरण संख्या–UA/DO/DDN/30/2021-2023

सरकारी गजट, उत्तराखण्ड

उत्तराखण्ड सरकार द्वारा प्रकाशित

रुड़की

खण्ड–24] रुड़की, शनिवार, दिनांक 01 अप्रैल, 2023 ई0 (चैत्र 11, 1945 शक सम्वत्) [संख्या–13

विषय–सूची

प्रत्येक भाग के पृष्ठ अलग–अलग दिये गए हैं, जिससे उनके अलग–अलग खण्ड बन सकें

विषय	पृष्ठ संख्या	वार्षिक चन्दा रु0
सम्पूर्ण गजट का मूल्य	–	3075
भाग 1–विज्ञप्ति–अवकाश, नियुक्ति, स्थान–नियुक्ति, स्थानान्तरण, अधिकार और दूसरे वैयक्तिक नोटिस ...	371–398	1500
भाग 1–क–नियम, कार्य–विधियां, आज्ञाएं, विज्ञप्तियां इत्यादि जिनको उत्तराखण्ड के राज्यपाल महोदय, विभिन्न विभागों के अध्यक्ष तथा राजस्व परिषद् ने जारी किया ...	113–117	1500
भाग 2–आज्ञाएं, विज्ञप्तियां, नियम और नियम विधान, जिनको केन्द्रीय सरकार और अन्य राज्यों की सरकारों ने जारी किया, हाई कोर्ट की विज्ञप्तियां, भारत सरकार के गजट और दूसरे राज्यों के गजटों के उद्धरण	–	975
भाग 3–स्वायत्त शासन विभाग का क्रोड़–पत्र, नगर प्रशासन, नोटीफाइड एरिया, टाउन एरिया एवं निर्वाचन (स्थानीय निकाय) तथा पंचायतीराज आदि के निदेश जिन्हें विभिन्न आयुक्तों अथवा जिलाधिकारियों ने जारी किया ...	–	975
भाग 4–निदेशक, शिक्षा विभाग, उत्तराखण्ड	–	975
भाग 5–एकाउन्टेन्ट जनरल, उत्तराखण्ड	–	975
भाग 6–बिल, जो भारतीय संसद में प्रस्तुत किए गए या प्रस्तुत किए जाने से पहले प्रकाशित किए गए तथा सिलेक्ट कमेटियों की रिपोर्ट	–	975
भाग 7–इलेक्शन कमीशन ऑफ इण्डिया की अनुविहित तथा अन्य निर्वाचन सम्बन्धी विज्ञप्तियां	–	975
भाग 8–सूचना एवं अन्य वैयक्तिक विज्ञापन आदि ...	255–279	975
स्टोर्स पर्चेज–स्टोर्स पर्चेज विभाग का क्रोड़–पत्र आदि ...	–	1425

भाग 1

विज्ञप्ति–अवकाश, नियुक्ति, स्थान–नियुक्ति, स्थानान्तरण, अधिकार और दूसरे वैयक्तिक नोटिस

गृह (अधिष्ठान) अनुभाग–3

अधिसूचना

14 मार्च, 2023 ई0

संख्या 106034/XX-3/2023/08(03)2018–राज्यपाल, उत्तराखण्ड पुलिस अधिनियम, 2007 (अधिनियम संख्या 01, वर्ष 2008) की धारा 87 की उपधारा (1) सपठित धारा 17 के अधीन प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करके तथा इस विषय के विद्यमान समस्त नियमों और आदेशों का अधिक्रमण करते हुये उत्तराखण्ड पुलिस दूर संचार विभाग की राजपत्रित सेवा में भर्ती और उसमें नियुक्त व्यक्तियों की सेवा शर्तों को विनियमित करने के लिए निम्नलिखित नियमावली बनाते हैं, अर्थात्:–

उत्तराखण्ड पुलिस दूरसंचार राजपत्रित अधिकारी सेवा नियमावली, 2023

भाग एक–सामान्य

संक्षिप्त नाम और प्रारम्भ 1. (1) इस नियमावली का संक्षिप्त नाम उत्तराखण्ड पुलिस दूरसंचार राजपत्रित अधिकारी सेवा नियमावली, 2023 है।

(2) यह तुरन्त प्रवृत्त होगी।

सेवा की प्रास्थिति 2. उत्तराखण्ड पुलिस दूरसंचार राजपत्रित अधिकारी सेवा एक ऐसी सेवा है जिसमें पुलिस दूरसंचार विभाग के समूह 'क' एवं 'ख' के पद समाविष्ट हैं।

परिभाषाएं 3. जब तक कि विषय या संदर्भ में कोई बात प्रतिकूल न हो, इस नियमावली में:–

(क) "अधिनियम" से उत्तराखण्ड पुलिस अधिनियम 2007(अधिनियम संख्या 01 वर्ष 2008) अभिप्रेत है;

(ख) 'नियुक्ति प्राधिकारी' से उत्तराखण्ड के राज्यपाल अभिप्रेत है;

(ग) 'भारत का नागरिक' से ऐसा व्यक्ति अभिप्रेत है, जो 'भारत के संविधान' के भाग–2 के अधीन भारत का नागरिक हो या भारत का नागरिक समझा जाय;

(घ) 'आयोग' से उत्तराखण्ड लोक सेवा आयोग अभिप्रेत है;

(ड) 'संविधान' से भारत का संविधान अभिप्रेत है;

(च) 'सरकार' से उत्तराखण्ड राज्य की सरकार अभिप्रेत है;

(छ) 'राज्यपाल' से उत्तराखण्ड राज्य के राज्यपाल अभिप्रेत है;

(ज) 'विभागाध्यक्ष' से पुलिस महानिदेशक, उत्तराखण्ड अभिप्रेत हैं;

(झ) 'सेवा का सदस्य' से सेवा के संवर्ग में किसी पद पर इस नियमावली या इस नियमावली के प्रारम्भ होने से पूर्व प्रवृत्त नियमों और आदेशों के उपबन्धों के अधीन मौलिक रूप से नियुक्त व्यक्ति अभिप्रेत है;

(ट) 'सेवा' से 'उत्तराखण्ड पुलिस दूरसंचार सेवा' अभिप्रेत है;

(ठ) 'मौलिक नियुक्ति' से सेवा के संवर्ग में किसी पद पर ऐसी नियुक्ति अभिप्रेत है, जो तदर्थ नियुक्ति न हो और नियमानुसार चयन के पश्चात् की गयी हो और यदि कोई नियम न हो तो सरकार द्वारा जारी किये गये कार्यपालक अनुदेशों द्वारा तत्समय विहित प्रक्रिया के अनुसार चयन के पश्चात की गयी हो; तथा

(ड) 'भर्ती का वर्ष' से किसी कलैण्डर वर्ष की पहली जुलाई से प्रारम्भ होने वाली बारह मास की अवधि अभिप्रेत है।

भाग दो–संवर्ग

सेवा का संवर्ग

4. (1) सेवा में कर्मचारियों/अधिकारियों तथा उसमें प्रत्येक श्रेणी के पदों की संख्या उतनी होगी, जो समय–समय पर सरकार द्वारा निर्धारित की जाय।

(2) सेवा में कर्मचारियों/अधिकारियों तथा उसमें प्रत्येक श्रेणी के पदों की संख्या, जब तक उपनियम (1) के अधीन पारित आदेशों द्वारा उसमें परिवर्तन न किया जाय, उतनी होगी जितनी परिशिष्ट 'क' में दी गयी है:

परन्तु, यह कि–

(एक) नियुक्ति प्राधिकारी किसी रिक्त पद को बिना भरे हुए छोड़ सकेंगे अथवा राज्यपाल किसी पद को इस प्रकार प्रास्थगित कर सकेंगे कि कोई व्यक्ति प्रतिपूर्ति का हकदार नहीं होगा।

(दो) राज्यपाल ऐसे स्थायी अथवा अस्थायी पद सृजित कर सकते हैं, जैसा वे उचित समझें।

भाग तीन–भर्ती

भर्ती का स्रोत

5. **सेवा में विभिन्न श्रेणियों के पदों की भर्ती निम्नलिखित स्रोतों से की जायेगी :–**

(1) उपनियम (2) के उपबन्धों के अधीन रहते हुये पुलिस उपाधीक्षक (पुलिस दूरसंचार) के पद पर भर्ती निम्न प्रकार से की जायेगी :–

(एक) 50 प्रतिशत पद आयोग द्वारा संचालित प्रतियोगिता परीक्षा के परिणाम के आधार पर सीधी भर्ती द्वारा;

(दो) 50 प्रतिशत पद मौलिक रूप से नियुक्त ऐसे स्थायी निरीक्षक (पुलिस दूरसंचार) में से जिन्होने भर्ती के वर्ष के प्रथम दिवस को इस रूप में 04 वर्ष की सेवा पूर्ण कर ली हो, अनुपयुक्त को अस्वीकार करते हुए, ज्येष्ठता के आधार पर चयन समिति के माध्यम से पदोन्नति द्वारा।

(2) राज्यपाल, आपवादिक परिस्थितियों में, आयोग के परामर्श से, आयोग द्वारा संचालित विशेष परीक्षा के परिणाम के आधार पर सेवा में विशेष या आपात भर्ती कर सकते हैं। भर्ती के लिए शैक्षिक अर्हता

और आयु तथा ऐसी परीक्षा के लिए पाठ्यक्रम ऐसा होगा जैसा आयोग द्वारा राज्यपाल के अनुमोदन से विनिश्चित किया जाय। ऐसी परीक्षा के आधार पर नियुक्त अभ्यर्थी, उपनियम (1) के खण्ड (एक) के अधीन सीधी भर्ती द्वारा नियुक्त किये गये समझे जायेंगे।

(3) अपर पुलिस अधीक्षक (पुलिस दूरसंचार) के शत्–प्रतिशत पद मौलिक रूप से नियुक्त ऐसे स्थायी पुलिस उपाधीक्षक (पुलिस दूरसंचार) में से जिन्होंने संवर्ग में 07 वर्ष की सेवा पूर्ण कर ली हो, अनुपयुक्त को अस्वीकार करते हुए, ज्येष्ठता के आधार पर चयन समिति के माध्यम से पदोन्नति द्वारा।

(4) पुलिस अधीक्षक (पुलिस दूरसंचार) के शत्–प्रतिशत पद मौलिक रूप से नियुक्त ऐसे स्थायी अपर पुलिस अधीक्षक (पुलिस दूरसंचार) में से जिन्होने संवर्ग में 12 वर्ष की सेवा पूर्ण कर ली हो, अनुपयुक्त को अस्वीकार करते हुए, ज्येष्ठता के आधार पर चयन समिति के माध्यम से पदोन्नति द्वारा।

(5) पुलिस उप महानिरीक्षक (पुलिस दूरसंचार) के शत्–प्रतिशत पद मौलिक रूप से नियुक्त ऐसे स्थायी पुलिस अधीक्षक (पुलिस दूरसंचार) में से जिन्होंने संवर्ग में 20 वर्ष की सेवा पूर्ण कर ली हो, पदोन्नति द्वारा योग्यता/श्रेष्ठता के आधार पर चयन समिति के माध्यम से पदोन्नति द्वारा।

आरक्षण

6. उत्तराखण्ड राज्य की अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जन जातियों, अन्य पिछड़ा वर्ग, आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग और अन्य श्रेणियों के अभ्यर्थियो के लिए आरक्षण भर्ती के समय प्रवृत्त सरकार के आदेशों के अनुसार किया जायेगा।

भाग चार–अर्हताएं

राष्ट्रीयता

7. सेवा में किसी पद पर सीधी भर्ती के लिए अभ्यर्थी–

(क) भारत का नागरिक हो, या

(ख) तिब्बती शरणार्थी हो, जो भारत में स्थायी रूप से बसने के आशय से 01 जनवरी, 1962 से पहले भारत आया हो या

(ग) भारतीय मूल का व्यक्ति जिसने भारत में स्थायी रूप से बसने के आशय से पाकिस्तान, बर्मा, श्रीलंका, केन्या, युगाण्डा और संयुक्त तन्जानिया गणराज्य (पूर्ववर्ती तांगानिका और जंजीबार) के पूर्वी अफ्रीकी देशों से प्रव्रजन किया हो:

परन्तु, उक्त श्रेणी (ख) और (ग) से सम्बन्धित अभ्यर्थी वह व्यक्ति होगा जिसके पक्ष में राज्य सरकार द्वारा पात्रता प्रमाण–पत्र जारी किया गया हो:

from eOffice by KAMLESH KU

परन्तु यह और कि श्रेणी (ख) से सम्बन्धित अभ्यर्थी के लिए भी पुलिस उपमहानिरीक्षक अभिसूचना शाखा, उत्तराखण्ड द्वारा प्रदत्त पात्रता प्रमाण–पत्र प्राप्त करना आवश्यक होगा:

परन्तु यह भी कि यदि अभ्यर्थी उक्त श्रेणी (ग) से सम्बन्धित है तो पात्रता प्रमाण–पत्र एक वर्ष से अधिक अवधि के लिए जारी नहीं किया जायेगा और ऐसे अभ्यर्थी को एक वर्ष से अधिक अवधि के बाद उसके द्वारा भारत की नागरिकता प्राप्त करने पर सेवा में रखा जा सकेगा।

टिप्पणी–जिन अभ्यर्थी के मामले में पात्रता का प्रमाण पत्र आवश्यक हो किन्तु उसे न तो जारी किया गया हो और न ही नामंजूर किया गया हो, उसे किसी परीक्षा या साक्षात्कार मे प्रवेश दिया जा सकता है और उसे अनन्तिम रूप से नियुक्त भी किया जा सकता है। किन्तु शर्त यह है कि उसके द्वारा आवश्यक प्रमाण–पत्र प्राप्त कर लिया जाय या उसके पक्ष में जारी कर दिया जाय।

शैक्षणिक अर्हता

8. पुलिस उपाधीक्षक (पुलिस दूरसंचार) के पद पर सीधी भर्ती के लिए अभ्यर्थी के पास निम्नलिखित अर्हतायें होनी चाहिये–

भारत में विधि द्वारा स्थापित किसी विश्वविद्यालय या मान्यता प्राप्त संस्थान से इलेक्ट्रॉनिक्स में एक अनिवार्य विषय के रूप मे भौतिकी में परास्नातक उपाधि/वायरलैस कम्यूनिकेशन में एक अनिवार्य विषय के रूप में भौतिकी/अनुप्रयुक्त भौतिकी में परास्नातक उपाधि।

अथवा

भारत में विधि द्वारा स्थापित किसी विश्वविद्यालय या मान्यता प्राप्त संस्थान से इलेक्ट्रॉनिक्स/इलेक्ट्रॉनिक्स एण्ड कम्यूनिकेशन/ इलेक्ट्रॉनिक्स एण्ड टेलीकम्यूनिकेशन/इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग/ इनफॉरमेशन एण्ड कम्यूनिकेशन टेक्नोलॉजी/इलैक्ट्रॉनिक्स एण्ड इन्स्ट्रूमेंटेशन/ इलैक्ट्रिकल एण्ड इलैक्ट्रॉनिक्स इंजीनियरिंग में स्नातक उपाधि।

एवं

देवनागरी लिपि में हिन्दी का कार्यकारी ज्ञान।

अधिमानी अर्हता

9. ऐसे व्यक्ति को वरीयता दी जाएगी जिसे इलेक्ट्रॉनिक्स/ दूरसंचार प्रौद्योगिकी के क्षेत्र में दो वर्ष का व्यावहारिक अनुभव प्राप्त हो। अन्य बातों के समान होने पर, ऐसे अभ्यर्थी को सीधी भर्ती के मामले में अधिमान दिया जायेगा, जिसने–

(1) प्रादेशिक सेना में कम से कम दो वर्ष की सेवा की हो, या

(2) नेशनल कैडेट कोर का 'बी' अथवा 'सी' प्रमाण पत्र प्राप्त किया हो,

आयु

10. सीधी भर्ती के लिए अभ्यर्थी की आयु, जिस वर्ष भर्ती के लिये विज्ञापन प्रकाशित किया जाय, उस वर्ष की पहली जुलाई को न्यूनतम 21 वर्ष और अधिकतम 35 वर्ष होनी चाहिये:

परन्तु अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों, अन्य पिछड़े वर्ग तथा ऐसी श्रेणियों के अभ्यर्थियों के मामले में, जिन्हें सरकार द्वारा समय–समय पर अधिसूचित किया जाय, अधिकतम आयु उतने वर्ष अधिक होगी जितनी विनिर्दिष्ट की जाय।

चरित्र

11. सेवा में किसी पद पर सीधी भर्ती के लिए अभ्यर्थी का चरित्र ऐसा होना चाहिये जिससे वह सरकारी सेवा की नौकरी के लिए सर्वथा उपयुक्त हो। नियुक्ति प्राधिकारी इस विषय में स्वयं समाधान करेगा।

टिप्पणी– संघ सरकार या राज्य सरकार अथवा संघ सरकार से स्वामित्व में अथवा नियंत्रणाधीन किसी स्थानीय प्राधिकरण या निगम या निकाय द्वारा पदच्युत व्यक्ति सेवा में किसी पद पर नियुक्ति के पात्र नहीं होंगे। नैतिक अधमता के अपराध से सम्बद्ध सिद्धदोष व्यक्ति भी नियुक्ति के पात्र नहीं होंगे।

वैवाहिक प्रास्थिति

12. ऐसा पुरूष अभ्यर्थी, जिसकी एक से अधिक पत्नियॉं जीवित हों अथवा ऐसी महिला अभ्यर्थी जिसका एक से अधिक पति जीवित हो, सेवा में किसी पद पर नियुक्ति के पात्र नहीं होंगे:

परन्तु, यदि सरकार का समाधान हो जाए कि ऐसा करने के लिये विशेष कारण हैं, तो वह किसी व्यक्ति को इस नियम के प्रवर्तन से मुक्त कर सकेगी।

शारीरिक योग्यता

13. किसी अभ्यर्थी को सेवा में किसी पद पर तब तक नियुक्त नहीं किया जायेगा जब तक कि मानसिक और शारीरिक दृष्टि से उसका स्वास्थ्य अच्छा न हो, वह किसी ऐसे शारीरिक दोष से मुक्त न हो जिससे उसे अपने कर्तव्यों का दक्षतापूर्वक पालन करने में बाधा पड़ने की संभावना हो। किसी अभ्यर्थी को सीधी भर्ती द्वारा नियुक्ति के लिए अन्तिम रूप से अनुमोदित करने से पूर्व चिकित्सा परिषद् की परीक्षा उत्तीर्ण करनी होगी, जिसके माप–दण्ड परिशिष्ट–'ख' में उल्लिखित है:

परन्तु, पदोन्नति द्वारा नियुक्त अभ्यर्थी के लिए स्वस्थता प्रमाण–पत्र प्रस्तुत करना अपेक्षित नही होगा।

<u>भाग पॉंच– भर्ती की प्रक्रिया</u>

रिक्तियों का अवधारणा

14. नियुक्ति प्राधिकारी, वर्ष के दौरान भरी जाने वाली रिक्तियों की संख्या और नियम 6 के अधीन उत्तराखण्ड की अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों, अन्य पिछड़ा वर्ग, आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग और अन्य श्रेणियों के अभ्यर्थियों के लिये आरक्षित की जाने वाली रिक्तियों की संख्या अवधारित करेगा और उसकी सूचना आयोग को देगा।

सीधी भर्ती की प्रक्रिया

15. पुलिस उपाधीक्षक (पुलिस दूरसंचार) के 50 प्रतिशत पद आयोग द्वारा आयोजित प्रतियोगिता परीक्षा के माध्यम से सीधी भर्ती द्वारा भरे जायेंगे।

(1) प्रतियोगिता परीक्षा में बैठने की अनुमति के लिए आयोग विहित प्रपत्र में आवेदन–पत्र मंगायेगा। आवेदन–पत्र निर्धारित शुल्क के भुगतान पर आयोग के सचिव से प्राप्त किये जा सकेंगे।

(2) आयोग द्वारा जारी प्रवेश पत्र के बिना किसी भी अभ्यर्थी को परीक्षा में प्रवेश नहीं दिया जायेगा।

(3) लिखित परीक्षा के परिणाम प्राप्त होने और सारणीबद्ध किये जाने के पश्चात आयोग द्वारा नियम 6 के अधीन अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, अन्य पिछड़ा वर्ग, आर्थिक रूप से कमजोर वर्गों तथा अन्य श्रेणियों के अभ्यर्थियों का प्रतिनिधित्व सुनिश्चित करने की आवश्यकता को ध्यान में रखते हुए, लिखित परीक्षा के परिणाम के आधार पर ऐसे अभ्यर्थियों को साक्षात्कार के लिए बुलाया जायेगा, जिन्होंने इस सम्बन्ध में आयोग द्वारा नियत मानक के अनुसार अंक प्राप्त किये हों। प्रत्येक अभ्यर्थी द्वारा साक्षात्कार में प्राप्त अंक उसके द्वारा लिखित परीक्षा में प्राप्त अंको में जोड़े जायेंगे।

(4) आयोग, प्रत्येक अभ्यर्थी द्वारा लिखित परीक्षा और साक्षात्कार में प्राप्त कुल अंकों द्वारा प्रकट प्रवीणता क्रम में एक सूची तैयार करेगा और उतने अभ्यर्थियों को, जितने वह उचित समझे, नियुक्ति के लिए संस्तुत करेगा। यदि दो या अधिक अभ्यर्थी कुल योग में बराबर–बराबर अंक प्राप्त करें तो लिखित परीक्षा में अधिक अंक प्राप्त करने वाले अभ्यर्थी का नाम सूची में उच्चतर स्थान पर रखा जायेगा, यदि लिखित परीक्षा में बराबर अंक हों तो जन्मतिथि के आधार पर अधिक आयु वाले अभ्यर्थी का नाम, सूची मे उच्चतर स्थान पर रखा जायेगा। आयोग द्वारा चयनित अभ्यर्थियों की सूची नियुक्ति प्राधिकारी को प्रेषित की जायेगी।

टिप्पणीः प्रतियोगिता परीक्षा से सम्बन्धित परीक्षा योजना, पाठ्यक्रम और नियम राज्यपाल के अनुमोदन से आयोग द्वारा समय–समय पर विहित किये जायेंगे।

चयन समिति के माध्यम से पदोन्नति द्वारा भर्ती की प्रक्रिया

16. (1) **पुलिस उपाधीक्षक (पुलिस दूरसंचार) के पद पर पदोन्नति–**

पुलिस उपाधीक्षक (पुलिस दूरसंचार) के पद पर पदोन्नति द्वारा भर्ती स्थायी निरीक्षक (पुलिस दूरसंचार) में से अनुपयुक्त को अस्वीकार करते हुये ज्येष्ठता के आधार पर पदोन्नति द्वारा उत्तराखण्ड लोक सेवा आयोग सपरामर्श चयानोन्नति (प्रक्रिया) नियमावली, 2003 के अनुसार की जायेगी।

(2) अपर पुलिस अधीक्षक (पुलिस दूरसंचार) के पद पर पदोन्नति–

अपर पुलिस अधीक्षक (पुलिस दूरसंचार) के शत्–प्रतिशत पदों पर चयन निम्नलिखित चयन समिति की संस्तुति पर पुलिस दूरसंचार विभाग में कार्यरत स्थायी पुलिस उपाधीक्षक (पुलिस दूरसंचार) में से अनुपयुक्त को अस्वीकार करते हुए ज्येष्ठता के आधार पर पदोन्नति द्वारा किया जायेगा–

(क) अपर मुख्य सचिव/प्रमुख सचिव/सचिव गृह, उत्तराखण्ड शासन– अध्यक्ष

(ख) अपर मुख्य सचिव/प्रमुख सचिव/सचिव कार्मिक, उत्तराखण्ड शासन या उनके द्वारा नाम निर्दिष्ट अधिकारी, जो अपर सचिव स्तर से अन्यून हो सदस्य

(ग) पुलिस महानिदेशक, उत्तराखण्ड या उनके द्वारा नाम निर्दिष्ट अधिकारी, जो पुलिस महानिरीक्षक स्तर से अन्यून हो। सदस्य

(3) <u>पुलिस अधीक्षक (पुलिस दूरसंचार), के पद पर पदोन्नति</u>–

पुलिस अधीक्षक (पुलिस दूरसंचार), के शत्-प्रतिशत पदों पर चयन निम्नलिखित चयन समिति की संस्तुति पर, पुलिस दूरसंचार विभाग में कार्यरत अपर पुलिस अधीक्षक (पुलिस दूरसंचार) में से अनुपयुक्त को अस्वीकार करते हुए ज्येष्ठता के आधार पर पदोन्नति द्वारा किया जायेगा–

(क) अपर मुख्य सचिव/प्रमुख सचिव/सचिव गृह, उत्तराखण्ड शासन– अध्यक्ष

(ख) अपर मुख्य सचिव/प्रमुख सचिव/सचिव कार्मिक, उत्तराखण्ड शासन या उनके द्वारा नाम निर्दिष्ट अधिकारी, जो अपर सचिव स्तर से अन्यून हो सदस्य

(ग) पुलिस महानिदेशक, उत्तराखण्ड या उनके द्वारा नाम निर्दिष्ट अधिकारी, जो पुलिस महानिरीक्षक स्तर से अन्यून हो। सदस्य

(4) <u>पुलिस उपमहानिरीक्षक (पुलिस दूरसंचार) के पद पर पदोन्नति</u>–
पुलिस उपमहानिरीक्षक (पुलिस दूरसंचार) के शत्–प्रतिशत पदों पर चयन, निम्नलिखित चयन समिति की संस्तुति पर पुलिस दूरसंचार विभाग में कार्यरत पुलिस अधीक्षक (पुलिस दूरसंचार) में से योग्यता के आधार पर पदोन्नति द्वारा किया जायेगा–

(क) मुख्य सचिव, उत्तराखण्ड शासन– अध्यक्ष

(ख) अपर मुख्य सचिव/प्रमुख सचिव/सचिव गृह, उत्तराखण्ड शासन– सदस्य

(ग) अपर मुख्य सचिव/प्रमुख सचिव/सचिव, कार्मिक विभाग उत्तराखण्ड शासन– सदस्य

(घ) पुलिस महानिदेशक, उत्तराखण्ड– सदस्य

पदोन्नति हेतु सूची

17. नियम 16 के उपनियम (2),(3) एवं (4) में उल्लिखित पदों पर भर्ती "उत्तराखण्ड लोक सेवा आयोग के क्षेत्र के बाहर के पदों पर) चयनोन्नति पात्रता–सूची नियमावली, 2003" तथा "उत्तराखण्ड सरकारी सेवक (पदोन्नति द्वारा भर्ती के लिए मानदण्ड) नियमावली, 2004" एवं इस सम्बन्ध में तत्समय प्रवृत्त किसी अन्य नियमावली के अनुसार की जायेगी।

संयुक्त चयन सूची

18. यदि भर्ती के किसी वर्ष में नियुक्ति सीधी भर्ती और पदोन्नति दोनों प्रकार से की जाय तो एक संयुक्त चयन सूची तैयार की जाएगी, जिसमें अभ्यर्थियों के नाम सुसंगत सूचियों में इस प्रकार लिये जाएंगे कि विहित प्रतिशत बना रहे। सूची में पहला नाम पदोन्नति द्वारा नियुक्त व्यक्ति का होगा।

भाग छः नियुक्ति, परिवीक्षा, स्थायीकरण और ज्येष्ठता

नियुक्ति

19. (1) उपनियम (2) के अध्यधीन रहते हुये नियुक्ति प्राधिकारी अभ्यर्थियों की नियुक्तियां उस क्रम में करेगा, जिसमें उनके नाम, यथास्थिति, नियम 15, 16, 17 एवं 18 के अधीन तैयार की गई सूचियों में हो।

(2) यदि किसी वर्ष नियुक्तियां सीधी भर्ती और पदोन्नति दोनों प्रकार से की जानी है तो नियमित नियुक्तियां तब तक नही की जायेंगी जब तक कि दोनों स्त्रोतों से चयन न किया गया हो और नियम 18 के अनुसार संयुक्त सूचियां तैयार न की गई हों।

(3) यदि किसी चयन के सम्बन्ध में एक से अधिक नियुक्ति आदेश जारी किये जाते हैं तो एक संयुक्त आदेश भी जारी किया जायेगा, जिसमें चयनित अभ्यर्थियो के नामों का उल्लेख चयन में अवधारित ज्येष्ठता के आधार या उस क्रम में, यथास्थिति, जिस क्रम उनका नाम उस संवर्ग में हो, जिससे उन्हें पदोन्नत किया गया है, किया जायेगा। यदि नियुक्तियां सीधी भर्ती और पदोन्नति दोनों प्रकार से की जाती हैं तो नाम, नियम 18 में निर्दिष्ट चक्रीय क्रम में क्रमांकित किये जायेंगे।

(4) नियुक्ति प्राधिकारी, अस्थायी या स्थानापन्न रूप में भी उप नियम (1) के अधीन तैयार की गई सूची से नियुक्ति कर सकता है। यदि सूचियों का कोई अभ्यर्थी उपलब्ध न हो तो वह इन नियमों के अधीन पात्र अभ्यर्थियों में से ऐसी रिक्तियों पर नियुक्ति कर सकता है। ऐसी नियुक्तियां एक वर्ष की अवधि के लिये या इन नियमों के अधीन अगले चयन के बाद तक के लिए, इनमें जो भी पहले हो, की जाएगी और जहॉ पद आयोग के क्षेत्र के अन्तर्गत आता हो उन पर "उत्तराखण्ड लोक सेवा आयोग (कृत्यों का परिसीमन) विनियम, 2003 के विनियम 5(क) के प्रावधान लागू होंगे।

परिवीक्षा

20. (1) सेवा में किसी पद पर या उसके विरूद्ध रिक्ति पर नियुक्त व्यक्ति 02 वर्ष की अवधि के लिये परिवीक्षा पर रखा जाएगा।

(2) नियुक्ति प्राधिकारी ऐसे कारणों से जो अभिलिखित किये जायेंगे, पृथक–पृथक मामले में परिवीक्षा अवधि को बढा सकता है, जिसमें वह दिनांक विनिर्दिष्ट किया जायेगा, जब तक की अवधि बढाई जाय :

परन्तु, आपवादिक परिस्थितियों के सिवाय, परिवीक्षा अवधि 01 वर्ष से अधिक और किसी भी परिस्थिति में 02 वर्ष से अधिक नहीं बढाई जायेगी।

(3) यदि परिवीक्षा अवधि या बढ़ायी गयी परिवीक्षा के दौरान किसी भी समय या उसके अंत में नियुक्ति प्राधिकारी को यह प्रतीत हो कि किसी परिवीक्षाधीन व्यक्ति द्वारा अपने अवसरों का पर्याप्त उपयोग नहीं किया गया है या वह अन्यथा समाधान प्रदान करने में विफल

रहा है तो उसके मौलिक पद पर, यदि कोई हो, प्रत्यावर्तित किया जा सकता है और यदि उसका किसी पद पर धारणाधिकार न हो तो उसकी सेवाएं समाप्त की जा सकती है।

(4) उपनियम (3) के अधीन जिस परिवीक्षाधीन व्यक्ति को प्रत्यावर्तित किया जाए या जिसकी सेवाएं समाप्त की जाए, वह किसी प्रतिकर का हकदार नहीं होगा।

(5) नियुक्ति प्राधिकारी, सेवा संवर्ग में सम्मिलित किसी पद पर या किसी अन्य समकक्ष या उच्च पद पर स्थानापन्न या अस्थायी रूप से की गयी निरन्तर सेवा को परिवीक्षा अवधि की संगणना करने के प्रयोजनार्थ गिने जाने की अनुमति दे सकता है।

स्थायीकरण

21. (1) किसी सरकारी सेवक का स्थायीकरण उत्तराखण्ड राज्य के सरकारी सेवकों की स्थायीकरण नियमावली, 2002 के नियम 4 में वर्णित प्रावधानों के अधीन किया जायेगा।

(2) **स्थायीकरण जहां आवश्यक नहीं है–**

उक्त वर्णित नियमावली के नियम 5 के उपनियम (1) के अनुसार स्थायीकरण आवश्यक नहीं होगा, यदि कोई सरकारी सेवक उस संवर्ग में, जिसमें भर्ती का स्रोत केवल प्रोन्नति ही हो, विहित प्रक्रिया का पालन किए जाने के पश्चात नियमित आधार पर प्रोन्नत किया जाय।

(3) किसी परिवीक्षाधीन व्यक्ति को परिवीक्षा–अवधि या बढायी गयी परिवीक्षा–अवधि के अन्त में उसकी नियुक्ति में स्थायी कर दिया जायगा, यदि–

(एक) उसने विहित विभागीय परीक्षा, यदि कोई है, उत्तीर्ण कर ली हो या विहित पाठ्यक्रम प्राप्त कर लिया हो (जहॉ उपबन्धित हो):

(दो) उसने विहित प्रशिक्षण परीक्षा उत्तीर्ण कर ली हो (जहॉ उपबन्धित हो):

(तीन) उसका कार्य और आचरण संतोषजनक बताया जाय:

(चार) उसकी सत्यनिष्ठा प्रमाणित कर दी जाय, और

(पॉच) नियुक्ति प्राधिकारी का समाधान हो जाय कि वह स्थायीकरण हेतु अन्यथा उपयुक्त है।

ज्येष्ठता

22. सेवा में इस नियमावली के अधीन नियुक्त किसी व्यक्ति की ज्येष्ठता (समय–समय पर यथासंशोधित) उत्तराखण्ड सरकारी सेवक (ज्येष्ठता) नियमावली, 2002 के अनुसार अवधारित की जायेगी।

विभागीय प्रशिक्षण

23. सीधी भर्ती द्वारा नियुक्त पुलिस उपाधीक्षक (पुलिस दूरसंचार) को राज्य सरकार द्वारा निर्धारित पुलिस प्रशिक्षण महाविद्यालय से सीधी भर्ती के पुलिस उपाधीक्षक हेतु निर्धारित आधारभूत पुलिस प्रशिक्षण पाठ्यक्रम सफलतापूर्वक पूर्ण करना अनिवार्य होगा। आधारभूत पुलिस प्रशिक्षण के अतिरिक्त पुलिस संचार मुख्यालय में छः माह का पुलिस संचार सम्बन्धी प्रशिक्षण एवं व्यवहारिक प्रशिक्षण करना अनिवार्य होगा।

भाग सात–वेतन आदि

वेतनमान

24. (1) सेवा मे किसी पद पर नियुक्त व्यक्तियों का अनुमन्य वेतनमान ऐसा होगा जैसा सरकार द्वारा समय–समय पर अवधारित किया जाय।

(2) इस नियमावली के प्रारम्भ पर प्रवृत्त सेवा के अनुमन्य वेतनमान ऐसे होंगे, जो परिशिष्ट 'क' में दिये गये हैं।

परिवीक्षा अवधि में वेतन

25. (1) मूल नियमों में किसी प्रतिकूल प्रावधान के होते हुए भी परिवीक्षाधीन व्यक्ति, यदि स्थायी सरकारी सेवा में नही है, तो उसे एक वर्ष की संतोषजनक सेवा पूरी करने, विभागीय परीक्षा में उत्तीर्ण होने और प्रशिक्षण प्राप्त करने पर, जहॉ विहित हो, समयमान में प्रथम वेतन वृद्धि की अनुमति प्रदान की जाएगी तथा दूसरी वेतन वृद्धि दो वर्ष की सेवा के पश्चात परिवीक्षा अवधि पूर्ण किये जाने तथा स्थायी किये जाने पर दी जाएगी:

परन्तु यदि संतोष प्रदान न कर सकने के कारण परिवीक्षा अवधि बढायी जाये तो जब तक नियुक्ति प्राधिकारी, अन्यथा निदेश न दें, ऐसी बढ़ायी गयी अवधि वेतनवृद्धि के लिये नहीं गिनी जायेगी।

(2) परिवीक्षा के दौरान ऐसे व्यक्ति का वेतन, जो सरकार के अधीन पहले से कोई पद धारण कर रहा है, संगत मूल नियमों द्वारा विनियमित किया जाएगा :

परन्तु, यह कि यदि समाधान प्रदान करने में असफल रहने के कारण परिवीक्षा अवधि बढायी जाये तो तब तक नियुक्ति प्राधिकारी अन्यथा निदेश न दे, ऐसी बढायी गयी अवधि वेतनवृद्धि के लिये नहीं गिनी जायेगी।

(3) परिवीक्षा के दौरान ऐसे व्यक्ति का वेतन, जो पहले से स्थायी सरकारी सेवा में है, राज्य के कार्यों से संबंधित सामान्य सेवारत सेवकों पर लागू संगत नियमों द्वारा विनियमित किया जाएगा।

भाग–8 अन्य उपबन्ध

पक्ष समर्थन

26. किसी पद या सेवा में लागू नियमों के अधीन अपेक्षित सिफारिश से भिन्न किसी अन्य सिफारिश पर, चाहे लिखित हो या मौखिक, विचार नहीं किया जायेगा। किसी अभ्यर्थी की ओर से अपनी अभ्यर्थिता के लिये प्रत्यक्ष या परोक्ष रूप से समर्थन प्राप्त करने का कोई प्रयास उसे नियुक्ति के लिये अनर्ह कर देगा।

अन्य विषयो का विनियमन

27. ऐसे विषयों के सम्बन्ध में, जो विर्निदिष्ट रूप से इस नियमावली या विशेष आदेशों के अन्तर्गत न आते हों, सेवा में नियुक्त व्यक्ति ऐसे नियमों, विनियमों और आदेशों द्वारा विनियमित होंगे, जो राज्य सरकार के कार्यकलापों के संबंध में सेवारत सरकारी सेवकों पर सामान्यतया लागू होते हैं।

सेवा शर्तो में शिथिलता 28. जहां राज्य सरकार का समाधान हो जाये कि सेवा में नियुक्त व्यक्तियों की सेवा शर्तें विनियमित करने वाले किसी नियम के प्रवर्तन से किसी विशिष्ट मामले में अनुचित कठिनाई होती है तो वह उस मामले में लागू नियमों में किसी बात के होते हुए भी, आदेश द्वारा उस नियम की अपेक्षाओं को उस सीमा तक और ऐसी शर्तों के अधीन रहते हुए, जिन्हें वह मामले में न्याय संगत और साम्यपूर्ण रीति से कार्यवाही करने के लिये आवश्यक समझें, अभिमुक्त या शिथिल कर सकती है:

परन्तु, यह कि जहां कोई नियम आयोग के परामर्श से बनाया गया हो, वहां नियम की अपेक्षाओं से अभिमुक्त करने या शिथिल करने से पूर्व आयोग से परामर्श किया जायेगा।

व्यावृत्ति 29. इस नियमावली की किसी बात का कोई प्रभाव ऐसे आरक्षण और अन्य रियायतों पर नहीं पड़ेगा, जिनकी सरकार से इस सम्बन्ध मे समय–समय पर जारी किये गये आदेशों के अनुसार अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों, अन्य पिछड़ा वर्ग, आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग तथा अन्य विशेष श्रेणियों के अभ्यर्थियों के लिये उपबन्ध किया जाना अपेक्षित हो।

परिशिष्ट–'क'

(नियम–4 का उपनियम–2 एवं नियम 24 देखें)

पदनाम	पदों की संख्या	वेतनमान
निदेशक/पुलिस उपमहानिरीक्षक(पुलिस दूरसंचार)	01	रू0 131100–216600 लेवल–13A
पुलिस अधीक्षक (पुलिस दूरसंचार)	02	रू0 78800–209200 लेवल–12
अपर पुलिस अधीक्षक (पुलिस दूरसंचार)	06	रू0 67700–208700 लेवल–11
पुलिस उपाधीक्षक (पुलिस दूरसंचार)	09	रू0 56100–177500 लेवल–10

परिशिष्ट–'ख'

(कृपया नियम– 13 देखें)

उत्तराखण्ड पुलिस दूरसंचार के राजपत्रित सेवा में भर्ती द्वारा नियुक्ति के लिए अभ्यर्थियों की चिकित्सा परीक्षा के लिए मापदण्ड

उत्तराखण्ड सरकार के अधीन नियुक्ति के लिए यथा उपयुक्त होने के लिए अभ्यर्थी का अच्छा मानसिक तथा शारीरिक स्वास्थ्य तथा अपने कर्तव्यों के दक्षता पूर्ण अनुपालन में हस्तक्षेप करने के लिए सम्भाव्य किसी शारीरिक कमी से मुक्त होना चाहिये।

2– उत्तराखण्ड पुलिस सेवा में भर्ती के लिए पुरूष एवं महिला अभ्यर्थियों के लिए न्यूनतम शारीरिक अर्हताएं निम्नवत होंगी :–

(क)– ऊँचाई

क0सं0	वर्ग	पुरूष अभ्यर्थी	महिला अभ्यर्थी
1	सामान्य वर्ग/अन्य पिछड़ा वर्ग तथा अनुसूचित जाति	167.7 सें0मी0	152.0 सें0मी0
2	अनुसूचित जनजाति	160.0 सें0मी0	147.00 सें0मी0
3	पर्वतीय क्षेत्र	162.6 सें0मी0	147.00 सें0मी0

(ख)– सीने की माप (केवल पुरूषों के लिए)

क0सं0	वर्ग	बिना फुलाये	फुलाने पर
1	सामान्य वर्ग/अन्य पिछड़ा वर्ग तथा अनुसूचित जाति	78.8 सें0मी0	83.8 सें0मी0
2	पर्वतीय क्षेत्र तथा अनुसूचित जनजाति	76.5 सें0मी0	81.5 सें0मी0

(ग)– शारीरिक वजन

(केवल महिलाओ के लिए) न्यूनतम 45 कि0ग्रा0

उत्तराखण्ड पुलिस दूरसंचार सेवा में नियुक्ति हेतु अभ्यर्थी की एक आंख 6/6 व दूसरी आंख मे 6/9 से कम दृष्टि नहीं होनी चाहिये। अतः बिना चश्मे के दाहिने हाथ से काम करने वाले अभ्यर्थियों के लिए दायीं आंख 6/6 और बांये हाथ से काम करने वाले अभ्यर्थियों की बायीं आंख 6/6 होनी चाहिये और वर्णांधता/भैंगापन से पूर्ण रूप से मुक्त होना चाहिये।

अभ्यर्थी का सटा घुटना, सपाट पैर, बो लैग, वैरिकोस वेन, हकलाना, विकलांगता और अन्य विकृतियां व अन्य समस्याएं जो पुलिस अधिकारी की ड्यूटी में किसी प्रकार की बाधा पैदा करें, को अयोग्य माना जायेगा।

उक्त सम्बन्ध में चिकित्सा परिषद द्वारा निर्धारित प्रतिवेदन में अभ्यर्थी के उपयुक्त होने का प्रमाण दिये जाने पर अभ्यर्थी को अन्तिम रूप से उत्तराखण्ड पुलिस दूरसंचार सेवा में नियुक्ति प्रदान की जाएगी।

आज्ञा से,

राधा रतूड़ी,

अपर मुख्य सचिव।

In pursuance of the provision of clause (3) of Article 348 of the 'Constitution of India', the Governor is pleased to order the publication of the following English translation of Notification No.106034/XX-3/2023/08(03)2018 Dehradun, dated March 14, 2023 for general information.

NOTIFICATION

March 14, 2023

No.106034/XX-3/2023/08(03)2018--In exercise of the powers conferred under sub-section (1) of Séction 87 read with section 17 of the Uttarakhand Police Act, 2007 (Act no 1 of 2008) and in supersession of all the existing Rules and orders on the subject, the Governor is pleased to make the following rules to regulate the services conditions of the persons appointed in the gazetted service of the of the Uttarakhand Police Telecommunication Department, namely:-

THE UTTARAKHAND POLICE TELE-COMMUNICATION GAZETTED OFFICERS SERVICE RULES, 2023

PART –I GENERAL

Short Title and commencement

1. (1) These rules may be called the "Uttarakhand Police Telecommunication Gazetted officers Service Rules, 2023.

(2) It shall come into force at once

Status of Service

2. Uttarakhand Police Telecommunication Gazetted officer Service is such a service in which Group 'A' and Group 'B' posts of police telecommunication departments are included.

Definitions:

3. In these rules unless anything is repugnant in the subject or context :-

(a) **'Act'** means Uttarakhand Police Act,2007(Act no. 1 of Year 2008)

(b) **'Appointing Authority'** means the Governor of Uttarakhand;

(c) **'Citizen of India'** means a person who is or is deemed to be a citizen of India under Part II of to the Constitution of India;

(d) **'Commission'** means the Uttarakhand Public Service Commission;

(e) **'Constitution'** means The Constitution of India;

(f) **'Government'** means the government of the State of Uttarakhand;

(g) **'Governor'** means the Governor of the State of Uttarakhand;

(h) **'Head of the Department'** means Director General of Police,Uttarakhand;

(i) **'Member of service'** means a person substantively appointed under these rules or orders in force prior to the commencement of these rules to a post in the cadre of the Service;

(j) **'Service'** means Uttarakhand Police Tele communication Service;

(k) **'Substantive appointment'** means as appointment, not being an ad hoc appointment, on a post in the cadre of the service and made after selection in accordance with the rules and, if there were no rules, in accordance with the procedure prescribed for the time being by executive instructions issued by the government;

(l) **'Year of recruitment'** means a period of twelve months commencing from 1st day of July of the calendar year.

PART-II CADRE

Cadre of Service

4. (1) The strength of the employees/officers in service and each category of posts therein shall be such as may be determined by the Government from time to time.

(2) The strength of the employees/officers in service and each category of posts therein shall, until orders varying the same are passed under sub-rule (1) as given in Appendix 'A'

Provided that:-

(i) The Appointing Authority may leave unfilled or the Governor may hold in abeyance any vacant post, without thereby entitling any person to compensation;

(ii) The Governor may create such additional permanent or temporary posts as he may consider porper.

PART-III RECRUITMENT

Source of Recruitment

5. Recruitment on the different categories of posts of the service shall be made from the following sources:-

(1) Subject to the provisions of sub-rule (2) recruitment to the post of Deputy Superintendent of Police (Police Telecom) shall be made as follows:-

(i) fifty percent post by the direct recruitment on the basis of result of the competitive examination conducted by the Commission.

(ii) fifty percent post from amongst substantively appointed such permanent Inspectors (Police Telecom) who have completed 4 years of service as such on the first day of the year of recruitment, by promotion through selection committee, on the basis of seniority subject to rejection of the unfit.

(2) In the exceptional circumstances the Governor, with the consultation with the Commission may make special or emergency recruitment in the service on the basis of the result of the special examinations conducted by the Commission. Educational qualification, age and syllabus for the examination for the recruitment would be such as the Commission would determine with the approval of the

Governor. The candidates appointed on the basis of such examination would be deemed to be appointed by direct recruitment under clause (i) of the sub –rule (1).

(3) Hundred Percent post of the Additional Superintendent of Police (Police Telecom) by promotion through selection committee on the basis of seniority subject to rejection of unfit from amongst substantively appointed such permanent Deputy Superintendent of Police (Police Telecom) who have completed 7 years of service in the cadre.

(4) Hundred Percent post of Superintendent of Police (Police Telecom) by promotion through selection committee on the basis of seniority, subject to rejection of the unfit from amongst substantively appointed such permanent Additional Superintendent of Police (Police Telecom) who have completed 12 years of service in the cadre.

(5) Hundred Percent posts of Deputy Inspector General of Police (Police Telecom) by promotion through selection committee on the basis of merit from amongst the substantively appointed such permanent Superintendent of Police (Police Telecom) who has completed 20 years of service in the cadre.

Reservation

6. Reservation for the candidates belonging to the Scheduled Casts, Scheduled Tribes, Others Backward Classes, Economically Weaker Sections and Other category of the State of Uttarakhand shall be in accordance with the orders of the government in force at the time of the recruitment.

PART-IV ELIGIBILITY

Nationality

7. A candidate for the direct recruitment to be a post in service must be:-

(a) A citizen of India; or

(b) A Tibetan refugee who came over to India before the 1st January 1962 with the intention of permanently settling in India; or

(c) A person of Indian origin who has migrated from Pakistan, Burma, Sri Lanka or any of the east African countries of Kenya, Uganda and United Republic of Tanzania (formerly Tanganika and Zanzibar) with the intention of permanently settling in India:

Provided that a candidate belonging to category (b) or (c) above must be a person in whose favour a certificate of eligibility has been issued by the Satate Government:

Provided futher a candidate belonging to category (b) shall also be required to obtain certificate of eligibility granted by the Deputy Inspector General of police Intelligence Branch, Uttarakhand:

Provided also that if a candidate belongs to the category (c) mentioned above, no certificate of eligibility shall be issued for a period of more than one year and retention of such a candidate in service beyond a period of one year, shall be subject to his acquiring Indian citizenship.

Note: - A candidate in whose case is certificate of eligibility is necessary but the same has neither been issued nor rejected, may be admitted to an examination or interview and he may also be provisionally appointed subject to the necessary certificate being obtained by him or issued in his favour.

Academic qualificaton

8. For the direct recruitment on the post of Deputy superintendent of Police (Police Telecom) the candidate must possess the following qualifications:-

- A master degree in Physics with Electronics as a compulsory subject /a degree of M.Sc. in Physics/ Applied Physics with wireless communication as a compulsory subject from any University established by law in India

Or

A bachelor degree in Electronics / Electronics and Communication / Electronics and Telecommunication/ Electrical Engineering/ Information and Communication Technology/ Electronics and Instrumentation / Electrical and Electronics Engineering from a university established by law in India.

And

Working knowledge of Hindi in Devanagari script.

Preferential qualification

9. Such persons shall be given preference who has the working experience of two years in the field of electronics/ telecommunication technology. The other things being equal such person shall be given preference in the matter of direct recruitment , who has

(1) served in the Territorial Army for a minimum period of two years, or

(2) obtained 'B' or 'C' certificate of National Cadet Corps.

Age

10. Age of the candidate for direct recruitment should be minimum 21 years and maximum 35 years on the first July of the year for which advertisement for recruitment has been published:

Provided that in case of candidates belonging to the Scheduled Casts, Scheduled Tribes, the Other Backward Classes and such categories as may be notified by the Government time to time, shall be greater by such number of years as may be specified.

Character: 11. The character of a candidate for direct recruitment to a post in the service must be such as to render him suitable in all respect for employment in government service. The Appointing Authority shall satisfy itself on this point.

Note: Persons dismissed by the Union Government or a State Government or by a Local Authority or a Corporation or Body owned or controlled by the Union Government or a State Government shall be ineligible for appointment to any post in the service. Persons convicted in offence involving moral turpitude shall also be ineligible.

Marital Status 12. A male candidate who has more than one wife living or a female candidate who has more than one husband living shall not be eligible for appointment to a post in the service:

Provided that the Government may, if satisfied that there exist special grounds for doing so, exempt any person from operation of this rule.

Physical Ability 13. No candidate shall be appointed to any post in the service unless his physical and mental health is good, he is free from any such physical defect which may cause him to interfere in the efficient discharge of his duties. Before a candidate is finally approved for appointment, he would have to pass the Medical Board examination parameters of which are mentioned in the Appendix – B:

Provided that a medical certificate of fitness shall not be required from a candidate recruited by promotion.

PART-V PROCEDURE OF RECRUITMENT

Determination of vacancies 14. The Appointing Authority shall determine the number of vacancies to be filled during the year and the number of vacancies to be reserved for the candidates belonging to the Scheduled Castes, Scheduled Tribes, Other Backward Classes, Economically Weaker Sections and Other categories under rule 6 and inform to the Commission.

Procedure for Direct Recruitment 15. Fifty percent posts of Deputy Superintendent of Police (Police Telecom) shall be filled by direct recruitment by the Competitive Examination conducted by the Commission.

(1) For the permission to appear in the competitive examination the Commission shall invite the application form on the prescribed format. The application form may be collected from the Secretary of the Commission on the payment of prescribed fee.

(2) No candidate shall be admitted in the examination without the admit card issued by the Commission.

(3) After obtaining the result of the written examination and tabulation, the Commission, keeping in mind to ensure the representation of the candidates belonging to the Scheduled

Castes, Scheduled Tribes, Other Backward Classes, Economically Weaker Sections and Other categories under section 6, on the basis of written examination shall call such candidates for interview who have secured the marks in accordance with the parameters fixed by the Commission in this behalf. The marks secured by each candidate in the interview shall be added to the marks secured by him in the written examination.

(4) The Commission shall prepare a list in order of merit as disclosed by aggregate of marks obtained by each candidate in the written and interview and recommend such number of candidates for the appointment as it deems fit. If two or more candidate obtain equal marks in the aggregate then the candidate obtaining more marks in the written examination shall be placed higher in the list, if the marks in the written examination are equal then on the basis of date of birth the name of the candidate more in age shall be placed higher in the list. The list of selected candidates shall be sent by the Commission to the Appointing Authority.

Note: Examination schedule, syllabus and rules relating to the competitive examination shall be prescribed by the Commission with the approval of the Governor from time to time.

Procedure for recruitment by promotion through selection committee

16. **(1) Promotion on the post of Deputy Superintendent of Police (Police Telecom):-** Recruitment by promotion on the post of Deputy Superintendent of Police (Police Telecom) shall be done on the basis of seniority, subject to rejection of unfit from amongst the permanent Inspector (Police Telecom) in accordance with the Uttarakhand Public Service Commission promotion by Consultation (Procedure) Rules 2003.

(2) Promotion on the post of Additional Superintendent of Police (Police Telecom) –

Selection on the hundred percent posts of Additional Superintendent of Police (Police Telecom) shall be done from amongst the permanent Deputy Superintendent of Police (Police Telecom) serving in the police telecommunication department on the basis of seniority, subject to rejection of unfit by promotion, on the recommendation of the following selection committee.

(A) Additional Chief Secretary /Principal Secretary/Secretary Home, Government of Uttarakhand	**Chairperson**
(B) Additional Chief Secretary/Principal Secretary/ Secretary, Personnel, Government of Uttarakhand, or an	**Member**

officer nominated by him who should not be below the level of Additional Secretary	
(C) Director General of Police, Uttarakhand, or an officer nominated by him who should not below than the level of Inspector General of Police	**Member**

(3) Promotion on the post of Superintendent of Police (Police Telecom) :-

Selection on the hundred percent posts of Superintendent of Police (Police Telecom) shall be done from amongst Additional Superintendent of police (Police telecom) serving in the police telecommunication department on the basis of seniority, subject to rejection of unfit by promotion on the recommendation of the following selection committee.

(A) Additional Chief Secretary /Principal Secretary/Secretary Home, Government of Uttarakhand	**Chairperson**
(B) Additional Chief Secretary/Principal Secretary/ Secretary, Personnel, Government of Uttarakhand, or an officer nominated by him who should not below than the level of Additional Secretary	**Member**
(C) Director General of Police, Uttarakhand, or an officer nominated by him who should not be below the level of Inspector General of Police	**Member**

(4) Promotion on the post of Deputy Inspector General of Police (Police Telecom)

Selection on the hundred percent posts of Deputy Inspector General of Police (Police Telecom) shall be done from amongst Superintendents of Police (Police Telecom) serving in the police telecommunication department on the basis of merit, by promotion on the recommendation of the following selection committee.

(A)Chief Secretary, Government of Uttarakhand	**Chairperson**
(B) Additional Chief Secretary/Principal Secretary/ Secretary, Home, Government of Uttarakhand	**Member**
(C) Additional Chief Secretary/Principal Secretary/Secretary, Personnel Department, Government of Uttarakhand	**Member**
(D) Director General of Police, Uttarakhand	**Member**

List for Promotion

17. On the posts mentioned in sub rule (2), (3) and (4) of rule 16 recruitment shall be made according to the "Uttarakhand Promotion by Selection (on the Post Outside the purview of Public Service Commission) Eligibility List Rules 2003" and the "Uttarakhand Government Servant (Criterion for Recruitment by Promotion) Rules 2004" and any other Rules applicable for the time being.

Combined Select list

18. If the appointment during any year of the recruitment are made both by direct recruitment and promotion, a combined select list shall also be prepared by taking the names of the candidates from the relevant list in such a manner that the prescribed percentage is maintained. The first name in the list shall be of the person appointed by promotion.

PART-VI
APPOINTMENT, PROBATION, CONFIRMATION AND SENIORITY

Appointment

19. (1) Subject to the provision of sub rule (2) the Appointing Authority shall make appointment by taking the name of candidates in the order in which they stand in the lists prepared under rule 15,16,17 and 18 as the case may be.

(2) Where, in any year of recruitment, appointments are to be made, both by direct recruitment and by promotion, regular appointments shall not be made unless selections are made from both the sources, and a combined list is prepared in accordance with rule 18.

(3) If more than one orders of appointment are issued in respect of any one selection, a combined order shall also be issued mentioning the names of the persons, in order of seniority, as determined in the selection, or as the case may be, as it stood, in the cadre, from which they are promoted. If the appointments are made, both by direct recruitment and by promotion, names shall be arranged in cyclic order referred in Rule 18

(4) Appointing Authority may also make temporary or substitute appointments from the list prepared under sub rule (1). If no candidate from the list is available then he may make appointments on such vacancies from amongst the eligible candidates under these rules. Such appointments shall be made for one year's duration or till the next selection under these rules, whichever is earlier, and on these appointment the provisions of Rule 5 (a) of the "Uttarakhand Public Service commission (Limitation of Functions) Rules 2003" shall be applicable.

Probation:

20. (1) The person appointed on any post or the vacancy against it, shall be placed on probation for the duration of 02 years.

(2) The Appointing Authority may, for reasons to be recorded, extend period of probation in individual cases specifying the date up to which the period is extended:

Provided that, save in exceptional circumstances, the period of probation shall not be extended beyond one year and in no circumstances beyond two years.

(3) If it appears to the Appointing Authority at any time during or at the end of the period of probation that a probationer has not made sufficient use of his opportunities, he may be reverted to his substantive post, if any, and if he does not hold a lien on any post, his services may be dispensed with.

(4) A probationer who is reverted or whose service are dispensed with under sub rule (3) shall not be entitled to any compensation.

(5) The Appointing Authority may allow continuous service rendered in an officiating or temporary capacity in a post included in the cadre or any equivalent or higher post, to be taken into account for the purpose of computing the period of probation.

Confirmation :

21. (1) The confirmation of any government servant shall be made under the provisions of rule 4 of the Uttarakhand Government servant confirmation Rules 2002.

(2) Where the confirmation is not necessary:-

According to sub-rule (1) of rule 5 of the above mentioned Rules, confirmation shall not be necessary, if any government servant in the cadre in which the source of recruitment is only promotion, after complying with the prescribed procedure is promoted on regular basis.

(3) Any person on probation shall be confirmed on his appointment at the end of his probation period or extended probation period, if:-

(i) he has passed the prescribed departmental examination, if any, or (where prescribed) has completed the course.

(ii) he has passed the prescribed training examination (where prescribed)

(iii) his work and conduct is described to be satisfactory.

(iv) his integrity has been certified, and

(v) Appointing Authority is satisfied that he is otherwise fit for confirmation.

Seniority

22. Seniority of any person appointed under these rules shall be determined according to the Uttarakhand Government Servant (Seniority) Rules 2002 (as amended from time to time.)

Departmental Training

23. For the direct recruited Deputy Superintendent of police (Police Telecom), it shall be mandatory to successfully complete the basic police training prescribed for the direct recruited Deputy Superintendent of Police from the Police Training College prescribed by the State Government. In

addition to basic police training, it shall mandatory to conduct six months of police communication training and practical training at police communication headquarters.

PART-VII SALARY Etc.

Pay scale 24. (1) The admissible pay scale of the person appointed in the service shall be such as may be determined by the Government from time to time.

(2) The Admissible pay Scales at the commencement of these Rules shall be such as given in the Appendix-"A".

Pay during Probation 25. (1) Notwithstanding any provision in the Fundamental Rules, to the contrary, a person on probation if he is not in the permanent government service, shall be allowed his first increment in the time scale when he has completed one year of satisfactory service, has passed departmental examination and under gone training where prescribed and second increment after completion of two year's service, on completion of probation period and is also confirmed:

Provided that if the probation period is extended on account of failure to give satisfaction such extended period shall not be counted for the increment unless the Appointing Authority directs otherwise,

(2) The pay during the probation of such person, who is already holding any post under the Government, shall be regulated by the relevant fundamental rules:

Provided that if the probation period is extended on account of failure to give satisfaction such extended period shall not be counted for the increment unless the Appointing Authority directs otherwise,

(3) To pay during the probation period of such person, who is already in the permanent Government service, shall be regulated by the relevant rules applicable to government servants generally serving in connection with the affairs of the state.

PART-VIII OTHER PROVISIONS

Canvassing: 26. No recommendation, either written or oral, other than those required under the rules applicable to the post or service shall be taken into consideration. Any attempt on the part of a candidate to enlist support directly or indirectly for his candidature shall disqualify him for appointment.

Regulation of other matters 27. In relation to such subjects, which do not fall under rules or special orders, persons appointed in the service shall be regulated by the rules regulations and orders applicable to the government servants serving in connection with the affairs of the state.

Relaxation in Service conditions

28. Where the State Government is satisfied that the operation of any rule regulating the conditions of service of persons appointed to the service cause undue hardship in any particular case, it may, notwithstanding anything contained in the rules applicable to the case, by order, dispense with or relax than requirements of that rule to such extent and subject to such conditions as it may consider necessary for dealing with the case in a just and equitable manner:

Provided that where a rule has been framed, in consultation with the Commission, Commission shall be consulted before the requirement of the rules are dispensed with or relaxed.

Savings

29. Nothing in these rules shall affect reservation and other concession required for the candidates belong to Schelduled Castes, Schelduled tribes, other Backward categories, Economically Weaker Sections, and Other special categories of persons to the State of Uttarakhand in accordance with the orders of the Government issued from time to time in this regard.

APPENDIX- 'A'

(Please see subrule-2 of rule-4 and rule-24)

Sl. No.	Name of Post	Number of Posts	Pay Scale
1.	Director/Deputy Inspector General of Police (Police Telecommunication)	01	Rs.131100-216600 Level 13A
2.	Superintendent of Police (Police Telecommunication)	02	Rs.78800-209200 Level 12
3.	Additional Superintendent of Police (Police Telecommunication)	06	Rs.67700-208700 Level -11
4.	Deputy Superintendent of Police (Police Telecommunication)	09	Rs.56100-177500 Level 10

APPENDIX- 'B'

(Please see rule-13)

Parameters for Medical examination for the appointment in the gazetted service of Uttarakhand Police Telecommunication

For the appointment under the government of Uttarakhand and for being fit the candidate must have good mental and physical health and should be free from any physical defect probable in interfering in the efficient discharge of his duties.

2. For the recruitment in the Uttarakhand Police Service the minimum physical eligibility for the males and females shall be as follows.

(a) Height

Sr.No.	Category	Male candidate	Female candidate
1.	General Category/Other Backward Class and Scheduled Cast	167.7 c.m.	152.00 c.m.
2	Scheduled Tribe	160.00 c.m.	147.00 c.m.
3.	Hill Area	162.6 c.m.	147.00 c.m.

(b) Measurement of Chest (For Males only)

Sr.No	Category	Without Expansion	On expansion
1.	General category/other backward class and Scheduled Cast	78.8 c.m.	83.8 c.m.
2	Hill Area and Scheduled Tribe	76.5 c.m.	81.5 c.m.

(c) Body Weight (For females only) Minimum 45 Kilograms.

For the appointment in the Uttarakhand Police Telecommunication Service the candidate's eye sight should not be less than 6/6 in one eye and 6/9 in the other eye. Thus, Right handers right eye sight should be 6/6 and the left handers left eye should be of 6/6 and he should be completely free from color blindness/squrint.

The candidate's touching knee, Flat bottom leg, Bow leg, Vericose veins, stammerer , handicaptness and other defects and problems which create obstacles in the performance of duty of a police officer will be treated ineligible.

In connection with the above, the candidate shall finally be given appointment in the Police Telecommunication service, on production of a certificate certifying the fitness of the candidate issued by the Medical Council in the prescribed form.

By Order,

RADHA RATURI,

Additional Chief Secretary.

गृह अनुभाग—6

अधिसूचना

21 मार्च, 2023 ई०

संख्या 90/XX-6/2023-37265—राज्यपाल, दण्ड प्रक्रिया संहिता, 1973 (1974 का अधिनियम संख्यांक 2) की धारा 2 के खण्ड (ध) एवं इस सम्बन्ध में प्रदत्त समस्त समर्थकारी शक्तियों का प्रयोग करते हुए, जिला चम्पावत के थाना पाटी के अन्तर्गत नवीन रिपोर्टिंग पुलिस चौकी देवीधुरा के गठन एवं संलग्न परिशिष्ट के अनुसार 44 ग्रामों को रिपोर्टिंग पुलिस चौकी देवीधुरा की अधिकारिता क्षेत्र के अन्तर्गत सम्मिलित किये जाने की सहर्ष स्वीकृति प्रदान करते हैं।

2— उक्तानुसार अधिसूचना संख्या 577/XX(8)2014-11(37) 2006TC(I) दिनांक 08.06.2015 को उक्त सीमा तक संशोधित पढ़ा/समझा जाए।

परिशिष्ट।

अधिसूचना संख्या 90/XX–6/2023–37265 दिनांक 21मार्च, 2023

जनपद चम्पावत के थाना पाटी के अन्तर्गत नवीन सृजित रिपोर्टिंग पुलिस चौकी देवीधूरा में सम्मिलित किये जाने वाले गांवो की सूची :—

क.सं.	ग्राम का नाम	क.सं.	ग्राम का नाम
1	इजटाडंगरा	23	रौलगॉव
2	कनवाड़	24	गगराड़
3	ढ़रौज	25	गागर
4	देचमार	26	चौडागूठ
5	पखौटी	27	तोलीकठेड़ी
6	पाड़स	28	थपलागूठ
7	बटुलिया	29	सिल्योड़ीगूठ
8	जोगाबसान	30	नायालकोट
9	बैरख	31	किमाड़
10	भैसर्क	32	मन्टाण्डे
11	रिखौली	33	कार्कीछाना
12	अनर्पा	34	मौलनाजाख
13	कुमैयाकुड़ा	35	बोराचापड
14	खैरानीगूठ	36	दन्तोला
15	गवाई	37	धौनकिम्स्वाड़
16	टकनागुरी	38	बनौली
17	तिमलागूठ	39	बिरौली
18	पीपलढ़ीग	40	चमतोला
19	फुलाराकोट	41	वारसी
20	वमनचापड़	42	भैखड़ा
21	वालिक	43	मंगललेख
22	मथेलाछाना	44	रमक

आज्ञा से,

राधा रतूड़ी,

अपर मुख्य सचिव।

In pursuance of the provision of clause (3) of article 348 of the "Constitution of India", the Governor is pleased to order the publication of the following English translation of notification No.90/XX-6/2023-37265 Dehradun, Dated: March 21, 2023 for general information.

NOTIFICATION

March 21, 2023

No.90/XX-6/2023-37265 --In exercise of the powers conferred by clause (s) of Section 2 of the Code of Criminal Procedure, 1973 (No. 2 of the Act of 1974) & in exercise of all the enabling powers conferred in this behalf, the Governor is pleased to notify the new reporting police chowki Devidhura under police station Pati in district Champawat and to allow to include the 44 villages of the list as given in Appendix annexed under the Jurisdiction of reporting police chowki Devidhura.

2. Notification no. 577/XX(8)2014-11(37)2006TC(I), dated 08.06.2015 deemed to be amended to the said limit as above.

Appendix

Detail of list of villages including in the new reporting police chowki Devidhura under police station Pati of Distt - Champawat of Notification no. 90 /XX-6/2023-37265, Dated 21 March, 2023

S.N.	Name of Village	S.N.	Name of Village
1	Ijtadugra	23	Raulgaon
2	Kanwad	24	Gagrad
3	Dharauj	25	Gagar
4	Dechamar	26	Chauragooth
5	Pakhauti	27	Tolikathedi
6	Padas	28	Thaplagooth
7	Batuliya	29	Silyodigooth
8	Jogabasan	30	Nayalkot
9	Bairakh	31	Kimad
10	Bhaisark	32	Mantande
11	Rikhauli	33	Karkichhana
12	Anarpa	34	Maulnajakh
13	Kumaiyakuda	35	Borachapad
14	Khairanigooth	36	Dantola
15	Gawai	37	Dhaunkimsawad
16	Taknaguri	38	Banauli
17	Timalagooth	39	Birauli
18	Pipaldhig	40	Chamtola
19	Fularakot	41	Warsi
20	Wanamchapad	42	Bhaikhada
21	Walik	43	Mangallekh
22	Mathelachhana	44	Ramak

By Order,

RADHA RATURI,

Additional Chief Secretary.

लोक निर्माण अनुभाग–03

आदेश

23 मार्च, 2023 ई0

संख्या 368/III(3)/2023-103(एन0एच0)2006–चूंकि, लोक निर्माण विभाग के नियंत्रणाधीन महत्वपूर्ण अन्य जिला मार्ग को राज्य मार्ग में परिवर्तित/उच्चीकृत करने का प्रस्ताव शासन को प्राप्त हुआ है।

2– और चूंकि सम्यक् विचारोपरान्त संलग्न अनुसूची में उल्लिखित मार्ग पर्यटन विकास, सामरिक दृष्टि, संयोजक तथा वैकल्पिक मार्ग होने दृष्टिगत इस मार्ग को राज्य मार्ग में परिवर्तित/उच्चीकृत किया जाना आवश्यक हो गया है;

3– अतएव, अब राज्यपाल, इस आदेश के साथ संलग्न अनुसूची में उल्लिखित अन्य जिला मार्ग को अनुसूची के स्तम्भ–4, 5 एवं 6 के अनुसार राज्य मार्ग में परिवर्तित/उच्चीकृत किये जाने की स्वीकृति प्रदान करते हैं।

आदेश संख्या– 368 /III(3)/2023-103(NH)2006 दिनांक 23 मार्च, 2023 का संलग्नक

अनुसूची

नया घोषित राज्य मार्ग:–

क्र0 सं0	पूर्व मार्ग का नाम	श्रेणी	नये राज्य मार्ग का नाम	कुल लम्बाई (कि0मी0 में)	नया राज्य मार्ग संख्या
1	2	3	4	5	6
1.	ललुवापानी–बनलेख मोटर मार्ग	अन्य जिला मार्ग	ललुवापानी–बनलेख मोटर मार्ग	8.26	111

आज्ञा से,

रमेश कुमार सुधांशु,
प्रमुख सचिव।

पी0एस0यू0 (आर0ई0) 13 हिन्दी गजट/145–भाग 1–2023 (कम्प्यूटर/रीजियो)।

मुद्रक एवम् प्रकाशक–अपर निदेशक, राजकीय मुद्रणालय, उत्तराखण्ड, रूड़की।

पंजीकरण संख्या–UA/DO/DDN/30/2021-2023

सरकारी गजट, उत्तराखण्ड

उत्तराखण्ड सरकार द्वारा प्रकाशित

रुड़की, शनिवार, दिनांक 01 अप्रैल, 2023 ई० (चैत्र 11, 1945 शक सम्वत्)

भाग 1–क

नियम, कार्य–विधियां, आज्ञाएं, विज्ञप्तियां इत्यादि जिनको उत्तराखण्ड के राज्यपाल महोदय, विभिन्न विभागों के अध्यक्ष तथा राजस्व परिषद् ने जारी किया

HIGH COURT OF UTTARAKHAND, NAINITAL

NOTIFICATION

February 28, 2023

No. 51/UHC/Stationery/2023--High Court of Uttarakhand has been pleased to declare 06.03.2023 (Monday) and 07.03.2023 (Tuesday) as holidays for the High Court of Uttarakhand. In lieu thereof, 19.08.2023 (Saturday) and 02.12.2023 (Saturday) shall be the Court Working days for the High Court.

NOTIFICATION

March 01, 2023

No. 52/UHC/Admin.A/2023--Ms. Meenakshi Sharma, Civil Judge (Jr. Div.), Khatima, District Udham Singh Nagar is transferred and posted as Civil Judge (Jr. Div.), Purola, District Uttarkashi, vice Ms. Krishtika Gunjiyal.

Ms. Meenakshi Sharma is directed to hold Camp Court at Barkot, District Uttarkashi for a week in a month.

NOTIFICATION

March 01, 2023

No. 53/UHC/Admin.A/2023--Shri Amit Bhatt, Civil Judge (Jr. Div.), Laksar, District Haridwar is transferred and posted as Civil Judge (Jr. Div.), Khatima, District Udham Singh Nagar, vice Ms. Meenakshi Sharma.

NOTIFICATION

March 01, 2023

No. 54/UHC/Admin.A/2023--Ms. Krishtika Gunjiyal, Civil Judge (Jr. Div), Purola, District Uttarkashi is transferred and posted as Civil Judge (Jr. Div.), Tharali, District Chamoli, in the vacant Court.

NOTIFICATION

March 01, 2023

No. 55/UHC/Admin.A/2023--Shri Kartikeya Joshi, Civil Judge (Jr. Div.), Karnprayag, District Chamoli shall continue the Camp Court at Tharali District Chamoli for one week in a month until Ms. Krishtika Gunjiyal, Civil Judge (Jr. Div.), Tharali, District Chamoli resumes her duties after availing maternity leave or till further orders, whichever is earlier.

NOTIFICATION

March 01, 2023

No. 56/UHC/Admin.A/2023--Shri Anurag Tripathi, Civil Judge (Jr. Div.), Rudraprayag is transferred and posted as Civil Judge (Jr. Div.), Laksar, District Haridwar, vice Shri Amit Bhatt.

By Order of the Court,

Sd/-

VIVEK BHARTI SHARMA,

Registrar General.

UTTARAKHAND PUBLIC SERVICES TRIBUNAL, DEHRADUN

CHARGE CERTIFICATE

14th February, 2023

No. 38/PST/Admin.IV/2023/Dehradun--The undersigned had assumed the office of the Chairman, Uttarakhand Public Services Tribunal, Dehradun, on 14.02.2018 *vide* Notification No. 305/XXXVI(1)/2017-18/2000 T.C. dated 21.09.2017, issued by the Principal Secretary, Judicial-cum-L.R., Govt. of Uttarakhand, Dehradun.

2. The Govt., in the Judicial Department, has issued Notification No. 362/XXXVI-A-1/2022-18/2000 T.C.-1 dated 16.11.2022 to appoint the undersigned as the Chairman of the Uttarakhand Public Services Tribunal from 14.02.2023 onwards till attaining the age of 70 years, *i.e.*, (upto) 13.02.2026 [Copy of the Official Gazette is enclosed herewith].

3. Certified that the undersigned has, again, assumed the office of the Chairman, Uttarakhand Public Services Tribunal, Dehradun, *vide* Notification No. 362/XXXVI-A-1/2022-18/2000 T.C.-1 dated 16.11.2022, issued by the Secretary, Judicial-cum-L.R., Govt. of Uttarakhand, as herein denoted in the Forenoon of 14.02.2023.

JUSTICE U.C. DHYANI,

Chairman,

Uttarakhand Public Services Tribunal,

Dehradun.

Countersigned,

illegible

Secretary, Judicial-cum-L.R.

Govt. of Uttarakhand.

UTTARAKHAND ELECTRICITY REGULATORY COMMISSION

NOTIFICATION

March 21, 2023

No. F-9(28)(i)/RG/UERC/2023/1527: In exercise of powers conferred under section 181 read with Section 86(1)(e) of the Electricity Act, 2003, and all other powers enabling it in this behalf, and after previous publication, the Uttarakhand Electricity Regulatory Commission hereby makes the following amendments in the UERC (Tariff and Other Terms for Supply of Electricity from Renewable Energy Sources and non-fossil fuel based Co-generating Stations) Regulations, 2018 (Principal Regulations) and subsequent amendment made in the same, if any, namely:

1. **Short Title, Commencement and Interpretation:**

   (1) These Regulations may be called the UERC (Tariff and Other Terms for Supply of Electricity from Renewable Energy Sources and non-fossil fuel based Co-generating Stations) (First Amendment) Regulations, 2023.

   (2) These Regulations shall come into force from the date of notification and unless reviewed earlier or extended by the Commission, shall remain in force for a period of 5 years from the date of commencement of Principal Regulations.

2. **Amendment in Regulation 9 of the Principal Regulations:**

   The amended Regulation shall be read as under:

   "9. Minimum Quantum of electricity to be purchased by distribution licensees from 'non-fossil fuel based co-generation and generation of electricity from renewable energy sources'

   (1) In line with the provisions of the Act, National Electricity Policy, the Tariff Policy to promote development of renewable and non–conventional sources of energy, all existing and future distribution licensees, captive users and open access customers, hereinafter referred to as "Obligated Entity", in the State shall be obliged to procure minimum percentage of their total electricity requirement for own consumption, as indicated below, from eligible renewable energy sources as defined under Regulation 4. The same shall be called the Renewable Purchase Obligation (RPO) of the Obligated Entities.

Year	*Wind RPO*	*Hydro Purchase Obligation (HPO)*	*Other RPO*
2022-23	0.81%	0.35%	23.44%
2023-24	1.60%	0.66%	24.81%
2024-25	2.46%	1.08%	26.37%
2025-26	3.36%	1.48%	28.17%
2026-27	4.29%	1.80%	29.86%
2027-28	5.23%	2.15%	31.43%
2028-29	6.16%	2.51%	32.69%
2029-30	6.94%	2.82%	33.57%

(a) Wind RPO shall be met only by energy produced from Wind Power Projects (WPPs), commissioned after 31st March 2022.

(b) HPO shall be met only by energy purchased from HPPs (including PSPs and Small Hydro Projects (SHPs)), commissioned after 8th March 2019.

(c) Other RPO shall be met by energy produced from any RE power project not mentioned in (a) and (b) above.

Percentage RPO as stipulated above denotes Minimum Quantum of purchase from non-fossil fuel based co-generation and generation of electricity from renewable energy sources' as a percentage of total energy purchased from all sources/generated by the Obligated Entity during the year for own consumption.

Where, total energy purchased for different obligated entities shall be as under:

(a) For Discoms, total energy purchased from all sources during the year for own consumption; and

(b) For Open Access consumers, total energy purchase through Open Access shall be metered consumption recorded at drawl/consumption point during the year for own consumption.

(c) For Captive users, total energy purchased shall be metered consumption recorded at drawl/consumption point during the year for own consumption.

Provided that HPO obligation of the Distribution licensee may be met out of the free power being provided to the State from HPPs (including PSPs and SHPs), commissioned after 8th March 2019 as per agreement at that point of time excluding the contribution towards LADF, if consumed within the Discom. Free Power (not that contributed for Local Area Development) shall be eligible for HPO benefit.

Provided that any shortfall remaining in achievement of 'Other RPO' category in a particular year can be met with either the excess energy consumed from Wind Power Plants, commissioned after 31st March 2022 beyond 'Wind RPO' for that year or with excess energy consumed from eligible HPPs (including PSPs and SHPs), commissioned after 8th March 2019 beyond 'HPO' for that year or partly from both. Further, any shortfall in achievement of 'Wind RPO' in a particular year can be met with excess energy consumed from Hydro Power Plants, which is in excess of 'HPO' for that year and vice versa.

(2) For the purpose of this RPO framework, for every obligated entity, own consumption would mean gross energy consumed or purchased by the obligated entity from all sources for its own use or for the purpose of supply to its consumers within its area of supply, excluding any inter-se sale of electricity amongst the Licensees or outside consumers.

(3) Distribution licensee shall be eligible to utilise the gross Solar energy generated from the rooftop or small solar power plants of non-obligated entities for meeting its 'Other RPO' compliance based on the gross energy generated meter reading of such rooftop or small solar power plant.

(4) *The following percentage of total energy consumed shall be solar/wind energy alongwith/through storage.*

Financial Year	Storage (on Energy basis)
2023-24	1.0%
2024-25	1.5%
2025-26	2.0%
2026-27	2.5%
2027-28	3.0%
2028-29	3.5%
2029-30	4.0%

(5) *The Energy Storage Obligation shall be calculated in energy terms as a percentage of total consumption of electricity and shall be treated as fulfilled only when and at least 85% of the total energy storage in the Energy Storage System (ESS), on an annual basis, is procured from renewable energy sources.*

(6) *The Energy Storage Obligation to the extent of energy stored from RE sources shall be considered as a part of fulfilment of the total RPO as mentioned under sub-regulation (1) of this regulation.*

(7) *UREDA will maintain a data related to compliance of RPO Obligation."*

By the Order of the Commission,

NEERAJ SATI,

Secretary.

पी०एस०यू० (आर०ई०) 13 हिन्दी गजट/145–भाग 1–क 2023 (कम्प्यूटर/रीजियो)।

मुद्रक एवम् प्रकाशक–अपर निदेशक, राजकीय मुद्रणालय, उत्तराखण्ड, रुड़की।

पंजीकरण संख्या–UA/DO/DDN/30/2021-2023

सरकारी गजट, उत्तराखण्ड

उत्तराखण्ड सरकार द्वारा प्रकाशित

रुड़की, शनिवार, दिनांक 01 अप्रैल, 2023 ई0 (चैत्र 11, 1945 शक सम्वत्)

भाग 8

सूचना एवं अन्य वैयक्तिक विज्ञापन आदि

सूचना

मेरे IDBI DEEP DISCOUNT BOND 96 के FOLIO NO. FDDB 0660724 एवं Certificate No. 00694696 में मेरा नाम त्रुटिवश गिरीश चन्द्र दर्ज हो गया है। जबकि समस्त अभिलेखों में वास्तविक नाम गिरीश कुमार अग्रवाल है। भविष्य में मुझे इसी नाम से जाना, पहचाना एवं पुकारा जाए।

समस्त विधिक औपचारिकताऐं मेरे द्वारा पूर्ण कर ली गई हैं।

गिरीश कुमार अग्रवाल पुत्र रघुनाथ प्रसाद

निवासी अपर बाजार, रुद्रप्रयाग।

सूचना

मैं अरूण कुमार गोयल पुत्र श्री धन प्रकाश गोयल मेरे एस0बी0आई0 बैंक PF Index N. 626740 सर्विस अभिलेख में मेरी पत्नी का नाम गलती से रेणुका गोयल दर्ज हो गया हैं जबकि मेरी पत्नी का वास्तविक व सही नाम रेणुका रानी है। भविष्य में मेरी पत्नी को रेणुका रानी पत्नी अरूण कुमार गोयल के नाम से जाना पहचाना व पुकारा जाए।

समस्त विधिक औपचारिकताऐं मेरे द्वारा पूर्ण कर ली गई हैं।

अरूण कुमार गोयल पुत्र श्री धन प्रकाश गोयल

निवासी 98 नेहरू नगर रुडकी

जिला हरिद्वार।

कार्यालय नगर पालिका परिषद् नैनीताल

सार्वजनिक सूचना

09 मार्च, 2023 ई0

पत्रांक 2238/XV-2(a)–उ0प्र0 नगरपालिका अधिनियम 1916 की धारा–298 (उत्तराखण्ड में यथा प्रवृत्त) की उपधारा–2 खण्ड–(ज)(4) के अन्तर्गत प्रदत्त अधिकारों का प्रयोग करते हुए नगरपालिका परिषद् नैनीताल द्वारा नगरपालिका अधिनियम–1916 की धारा–128 की उपधारा–1(ii) (iii) एवं धारा–294 के तहत विभिन्न व्यापार और आजीविका पर लाइसेन्स शुल्क अरोपित करने के उद्देश्य से विभिन्न व्यवसायों हेतु "व्यवसायिक लाइसेन्स/शुल्क वसूली उपविधि–2020" बनायी जाती है, जो नगरपालिका अधिनियम–1916 की धारा–301(1) के अन्तर्गत जनसामान्य एवं जिन पर इस उपविधि का प्रभाव पड़ने वाला हो, उनसे आपत्ति एवं सुझाव हेतु प्रकाशित की जा रही है।

अतः समाचार पत्र में उपविधि के प्रकाशन की तिथि से 30 दिन के अन्दर लिखित सुझाव एवं आपत्तियाँ अधिशासी अधिकारी, नगरपालिका परिषद् नैनीताल को प्रेषित की जा सकेगी। बादमियाद प्राप्त आपत्तियों एवं सुझावों पर कोई विचार नहीं किया जायेगा।

"व्यवसायिक लाइसेन्स/शुल्क वसूली उपविधि–2020"

1. संक्षिप्त नाम प्रसार और प्रारम्भ–

क– यह उपविधि नगरपालिका परिषद् नैनीताल "व्यवसायिक लाइसेन्स/शुल्क वसूली उपविधि– 2020" कहलायेगी।

ख– यह उपविधि नगरपालिका परिषद् नैनीताल की सीमा में प्रवृत्त होगी।

ग– यह उपविधि नगरपालिका परिषद् नैनीताल द्वारा प्रख्यापित तथा शासकीय गजट में प्रकाशन की तिथि से प्रवृत्त होगी।

2. परिभाषाएँ–

किसी विषय या प्रसंग से कोई वाद प्रतिकूल न होने पर इस उपविधि में–

(क) "नगरपालिका" का तात्पर्य नगरपालिका परिषद् नैनीताल से है।

(ख) "सीमा" का तात्पर्य नगरपालिका परिषद नैनीताल की सीमाओं से हैं।

(ग) "अधिशासी अधिकारी" का तात्पर्य अधिशासी अधिकारी नगरपालिका परिषद् नैनीताल से है।

(घ) "अध्यक्ष" का तात्पर्य नगरपलिका परिषद नैनीताल के अध्यक्ष/प्रशासक से है।

(ड) "बोर्ड" का तात्पर्य नगरपालिका परिषद् नैनीताल के निर्वाचित अध्यक्ष/सदस्यों से है।

(च) "अधिनियम" का तात्पर्य उ0प्र0, नगरपालिका अधिनियम–1916 (उत्तराखण्ड में यथाप्रवृत्त) संशोधन एवं उपान्तरण आदेश–2002 से है।

(छ) "लाइसेन्स" का तात्पर्य नगरपालिका परिषद नैनीताल की सीमन्तर्गत किये जाने वाले विभिन्न व्यापार और अजीविका के लाइसेन्स दिये जाने एवं उनसे निर्धारित शुल्क वसूली से है।

(ज) "अवधि" का तात्पर्य प्रत्येक वित्तीय वर्ष अथवा (1 अप्रैल से 31 मार्च) 1 वर्ष के लिए तक दिये जाने वाले व्यवसायिक लाइसेन्स से हैं।

3. लाइसेन्स– आवेदक द्वारा लाइसेन्स प्राप्त करने हेतु आवेदन पत्र के साथ दो फोटों (पासपोर्ट साइज) खींची होनी तथा आवेदन में व्यवसाय का मद एवं विवरण भी देना होगा।

4. प्राप्त आवेदन पत्र पर नगरपालिका द्वारा समुचित विचारोपरान्त 15 दिवस के अन्दर शुल्क लेकर लाइसेन्स दिये जाने का निर्णय लिया जायेगा, जिसकी सूचना आवेदक को दी जायेगी।

5. सूची में वर्णित व्यवसायिक लाइसेन्स 1 अप्रैल से 31 मार्च तक की अवधि के बीच व्यवसाइयों द्वारा प्रत्येक दशा में बनाया जाना अनिवार्य होगा। इस लाइसेन्स की अवधि 1 अप्रैल से 31 मार्च (एक वित्तीय वर्ष) तक वैध होगी अन्यथा की स्थिति में विलम्ब शुल्क जो 10 प्रतिशत अधिशासी अधिकारी द्वारा निर्धारित करते हुए वसूल किया जायेगा।

6. लाइसेन्स जारी करने का अधिकार अधिशासी अधिकारी में निहित होगा।

7. जांचकर्ता के जांच के समय व्यवसाय के सम्बन्धित सभी प्रकार की सूचना उपलब्ध कराने का उत्तरदायित्व आवेदनकर्ता का होगा।

8. अधिशासी अधिकारी स्वयं अथवा अपनी एजेन्सी, अधिकारी/कर्मचारी द्वारा जांच का कार्य सम्पादित करा सकता है, जो नगरपालिका के कर निरीक्षक स्तर से कम नहीं होगा।

9. लाइसेन्सधारक अपना व्यवसाय बदलता है तो उसकी सूचना अनिवार्य रूप से एक माह के अन्दर नगरपालिका में अपने पुराने लाइसेन्स विवरण के साथ लिखित रूप में उपलब्ध करा देगा।

10. उक्त सूची में वर्णित लाइसेन्सों के नियमों का उल्लंघन होने की दशा में अधिशासी अधिकारी जनहित में किसी भी समय लाइसेन्स निरस्त कर सकता है। अधिशासी अधिकारी के आदेशों के विरुद्ध अपील प्रस्तुत करता है तो उस अपील की सुनवाई का अधिकार अध्यक्ष, नगरपालिका परिषद् नैनीताल में निहित होगा।

11. व्यवसायिक लाईसेन्स की दरें प्रतिवर्ष निम्नवत् होगी, जो व्यापारी/व्यक्ति लाईसेन्स नहीं बनाता है तो उसके विरुद्ध नियमानुसार कार्यवाही करते हुए बकाया लाईसेन्स की धनराशि की वसूली 10 प्रतिशत सरचार्ज सहित भू–राजस्व के रूप में वसूली हेतु वसूली प्रमाण पत्र (आर0सी0) जिलाधिकारी को प्रेषित कर दी जायेगी।

12. नगरपालिका बोर्ड द्वारा दरें पुनरीक्षित न होने तक प्रत्येक तीन वर्ष बाद 25.00 प्रतिशत की वृद्धि की जायेगी, जो 100 के गुणांक में निर्धारित की जायेगी। ऐसे व्यवसायिक मालिक जो एक से अधिक सामानों को विक्रय करने का कार्य करते है। निम्न मदों में से एक से अधिक श्रेणी की व्यावसायिक गतिविधियॉं किये जाने की दशा में अधिकतम मूल्य निर्धारित लाईसेंस शुल्क का भुगतान करना होगा। व्यवसायिक शुल्क से सम्बन्धित पूर्व में प्रचलित उपविधि यथासंशोधित समझी जायेगी

व्यवसायिक लाईसेन्स शुल्क की दरें

क्र॰ सं॰	मद का नाम	लाइसेन्स शुल्क की प्रस्तावित दर
1	2	3 (₹)
1.	होटल लाजिंग / गेस्ट हाउस / रिर्जोट/धर्मशाला आदि 01 से 10 शैया तक	5,000.00
2.	होटल लाजिग / गेस्ट हाउस / रिर्जोट/धर्मशाला आदि 11 से 20 शैया तक	10,000.00
3.	तीन सितारा होटल अथवा बिना स्टार 20 शैया से 30 शैया तक	15,000.00
4.	उपरोक्त 31 शैया से 40 शैया तक	20,000.00
5.	उपरोक्त 41 शैया से 50 शैया तक	25,000.00
6.	उपरोक्त 50 शैया से ऊपर	30,000.00
7.	तीन सितारा होटल	35,000.00
8.	पॉंच सितारा होटल	40,000.00
9.	रेस्टोरेन्ट उच्च श्रेणी (30 सीट से अधिक)	12,000.00
10.	रेस्टोरेन्ट (15 से 30 सीट)	10,000.00
11.	रेस्टोरेन्ट (1 से 15 सीट)	8,000.00
12.	पेइंग गैस्ट (1 से 10 व्यक्ति में)	5,000.00
13.	पेइंग गैस्ट (10 से अधिक व्यक्ति में)	10,000.00
14.	बैंकट हॉल	20,000.00
	परिवहन	
15.	घोड़ा	1,500.00
16.	रिक्शा (मालिक)	1,500.00
17.	रिक्शा (चालक)	500.00
18.	नाव (चप्पूदार नाव मालिक)	500.00
19.	नाव (चप्पूदार नाव चालक)	250.00
20.	नाव (पैडिल सिंगल)	1,000.00
21.	नाव (पैडिल डबल)	1,500.00
22.	पाल नौका	1,500.00
23.	ठेला/टेली	1000.00

1	2	3 (₹)
24.	ट्रेक्टर ट्राली/छोटा हाथी	1000.00
25.	अन्य चार पहियों के वाहन (व्यवसायिक प्रयोग हेतु सभी वाहन)	1500.00
26.	अन्य दो पहियों के वाहन (व्यवसायिक प्रयोग हेतु सभी वाहन)	800.00
27.	मोटर गैराज	1,500.00
28.	स्कूटर गैराज/रिपेयर शॉप	1,000.00
29.	मोटर वाहन एजेन्सी (सेल्स/सर्विस)	10,000.00
30.	स्कूटर एजेन्सी (दो पहिया/तीन पहिया)	5,000.00
31.	साईकिल की दुकान	1,000.00
32.	पूजा सामग्री	1,000.00
	पेट्रोलियम	
33.	पेट्रोल/डीजल पम्प थोक विक्रेता कम्पनी	15,000.00
34.	जनरेटर, डीजल/पेट्रोल	1,000.00
	अन्य व्यवसाय	
35.	सिनेमा हॉल	35,000.00
36.	3डी/7डी	8,000.00
37.	वीडियों गेम्स पार्लर	10,000.00
38.	नर्सिंग होम/अस्पताल	10,000.00
39.	क्लीनिक/पैथलोजी लैब	8,000.00
40.	पैथलोजी लैब (कलैक्शन सैंटर)	6,000.00
41.	मेडिकल स्टोर	10,000.00
42.	कृषि यंत्र, दवाईयां एवं फर्टीलाईजर	1,000.00
43.	धुलाई गृह (लन्ड्री)	1,500.00
44.	ड्राई क्लीनर	2,000.00
45.	फाइनेंन्स कम्पनी, चिट फन्ड	8.000.00
46.	इन्सोरेन्स कम्पनी, प्रति शाखा	10,000.00
47.	आईस फैक्ट्री तथा कोल्ड ड्रिंक्स लेड़ा ऐल्टेड बटर फैक्ट्री	3,000.00
48.	बिल्डर्स (रजिस्टर्ड)/रियल स्टेट डीलर	5,000.00
49.	आटा चक्की	300.00
50.	गूदड़/गुड़ गोदाम	1,000.00
51.	ईट का भट्टा	10,000.00
52.	साबुन फैक्ट्री	3.000.00
53.	लोहा व्यापारी, टिम्बर, सीमेंट, ईटा बालू, पेन्ट (थोक मोरंग, मारवल, टाईल्स, सेनेटरी, हार्डवेयर)	10,000.00
54.	फुटकर बिजली के सामान के विक्रेता	1,000.00
55.	कपड़ा विक्रेता	3,000.00
56.	रेडिमेड गार्मेटस् (150.00 वर्गफीट क्षेत्रफल तक)	5,000.00
57.	रेडिमेड गार्मेटस् (150.00 वर्गफीट क्षेत्रफल से अधिक)	15,000.00
58.	बेकरी (भट्टी)	2,000.00
59.	बेकरी (पॉवर)	3,000.00
60.	हेयर कटिंग सैलून	2,000.00
61.	ब्यूटी पार्लर	5,000.00
62.	कुकिंग गैस एजेन्सी	1,000.00
63.	जनरल स्टोर (थोक)	10,000.00
64.	जनरल स्टोर (फुटकर) मुख्य बाजार	4,000.00
65.	जनरल स्टोर (फुटकर) मुख्य बाजार से अन्यत्र	2,000.00
66.	टेलरिंग हउस (5 से अधिक कर्मचारी)	1,000.00
67.	टेलरिंग हाउस (5 कर्मचारी तक)	500.00
68.	कोयला (थोक विक्रेता)	500.00
69.	कोयला (फुटकर विक्रेता)	200.00
70.	ज्यैलर्स (निर्माता)	5,000.00

1	2	3 (₹)
71.	ज्यैलर्स (विक्रेता)	3,000.00
72.	विज्ञापन एजेन्सी	5,000.00
73.	डेयरी (दूध, पनीर, दही एवं दूध)	2,500.00
74.	ऑडियो/वीडियो लाईब्रेरी	500.00
75.	मेबाईल विक्रेता/विभिन्न मोडाईल कम्पनीयों के रिचार्ज एवं मदम्मत की दुकान	1,000.00
76.	केबिल टी०वी०	2,000.00
77.	आर्किटेक्ट, कन्सलटेन्ट विधि चार्टेड एकाउन्टेन्ट, फास्ट एकाउन्टेन्ट	5,000.00
78.	अनाज, तेलहन, चीनी, गुड़, वडसारी (थोक / फुटकर विक्रेता)	800.00
79.	टेन्ट हाउस / कैटरिंग	10,000.00
80.	टूर एण्ड ट्रेवल्स	5,000.00
81.	साईबर कैफे (नेट सेवा प्रदाता)	2,500.00
82.	कम्प्यूटर सेंटर / टाईपिंग संस्थान	3,000.00
83.	मसाज केन्द्र/आयुर्वेदेक/प्राकृतिक चिकित्सा केन्द्र	3,000.00
84.	संगीत कला केन्द्र	500.00
85.	जिम	2,000.00
86.	गाईड लाईसेंस	100.00
87.	कुली	300.00
88.	जूते की दुकान	5,000.00
89.	ऊन की दुकान	2,500.00
90.	नमकीन की दुकान	2,500.00
91.	भण्डार ग्रह / गोदाम	3,000.00
	दुकान	
92.	अंग्रेजी शराब की दुकान	50,000.00
93.	देशी शराब की दुकान	30,000.00
94.	बीयर बार	10,000.00
95.	पान की दुकान	500.00
96.	चाय की दुकान	500.00
97.	अण्डे की दुकान	1,000.00
98.	गोमफली / पफकॉन आदि	100.00
99.	पर्स / बैग की दुकान इत्यादि	2,000.00
100.	जैम / जैली / जूस आदि	2,000.00
101.	किताब / स्टेशनरी की दुकान	3,000.00
102.	न्यूज पेपर	500.00
103.	लकड़ी के टाल की दुकान (थोक विक्रेता)	2,000.00
104.	लकड़ी के टाल की दुकान (फुटकर विक्रेता)	500.00
105.	लकड़ी से बना सजावट का सामान / गिफ्ट की दुकान	3,000.00
106.	रेडियो/मैकेनिक/टी0वी0 मरम्मत	1,000.00
107.	टी०वी० शॉप/इलेक्ट्रोनिक वस्तुएँ	5,000.00
108.	मिठाई की दुकान	3,000.00
109.	चाट/बताशे की दुकान	1,000.00
110.	ड्राई फ्रूट विक्रेता (थोक विक्रेता)	1,000.00
111.	ड्राई फ्रूट विक्रेता (फुटकर विक्रेता)	500.00
112.	सब्जी की दुकान और फल की दुकान	1,000.00
113.	सब्जी की दुकान और फल थोक / आड़ती	3,000.00
114.	मसाले थोक विक्रेता	1,000.00
115.	फर्नीचर की दुकान (शोरूम)	5,000.00
116.	फर्नीचर विक्रेता	3,000.00
117.	क्रॉकरी विक्रेता	1,000.00
118.	चूड़ी विक्रेता	500.00
119.	मिट्टी के तेल की दुकान	500.00

1	2	3 (₹)
120.	प्रिन्टिंग प्रेस	5,000.00
121.	फ्लैक्सी निर्माता	10,000.00
122.	फोटो फ्रेम की दुकान	500.00
123.	लोहा/मिट्टी/जूते की मरम्मत का कार्य	100.00
124.	कैण्डिल्स फैक्ट्री	5,000.00
125.	कैण्डिल्स की दुकान	2,000.00
126.	घड़ी साज/दुकान	1,000.00
127.	मांस की दुकान	5,000.00
128.	अन्य व्यवसाय/दुकान	3,000.00
	पशुपालन	
129.	प्रति पशु 1– कुत्ता 2– गाय/भैंस 3– अन्य पशु	 500.00 100.00 100.00

शास्ति

उपर्युक्त उपनियम का उल्लंघन नगर पालिका अधिनियम, 1916 की धारा 299 की उपधारा (1) के अन्तर्गत दण्डनीय होगा जो मु0 1,000.00 रुपया (एक हजार रुपया मात्र) तक ही हो सकता है। उपनियम का उल्लंघन निरन्तर जारी रहने पर अग्रेतर जुर्माना लिया जायेगा, जो प्रथम दोष सिद्ध होने के पश्चात् ऐसे प्रत्येक दिन के लिए जिसमें व्यवसायी द्वारा निरन्तर अपराध करते रहना सिद्ध हो जाता है मूल्य रु॰ 25.00 (पच्चीस रुपया मात्र) प्रतिदिन तक हो सकता है। यह अधिकार, नगरपालिका परिषद् नैनीताल में अन्तिम रूप से निहित होगा।

अशोक कुमार वर्मा,
अधिशासी अधिकारी,
नगरपालिका परिषद, नैनीताल।

सचिन नेगी,
अध्यक्ष,
नगरपालिका परिषद, नैनीताल।

कार्यालय नगर निगम हरिद्वार

नगर निगम हरिद्वार–फीकल स्लज एवं सेप्टेज प्रबंधन (एफ.एस.एस.एम.) उपनियम, 2021

26 दिसम्बर, 2022 ई0

पत्रांक सं: 2430/SMC/अमृत/2022–23–

1. **प्रसंग**

देश के विगत अनुभव से पता चलता है कि शहरी स्थानीय निकायों द्वारा वर्षों से सेप्टिक टैंकों के डिजाइन और आवधिक डी-स्लजिंग से संबंधित मानकों का पालन नहीं किया जा रहा है, जिसका परिणाम है खराब सेप्टेज प्रबंधन । इस विषय में मल पदार्थ/फ़ीकल स्लज़/सेप्टेज के उचित वैज्ञानिक प्रबंधन के अनुपालन किए जाने की आवश्यकता है ताकि सेप्टिक टैंकों/गड्ढों/शौचालयों से निकलने वाला सेप्टेज/ फ़ीकल स्लज़ पर्यावरण, नदी और अन्य जल निकायों को प्रदूषित न करे ।

1.1. **राष्ट्रीय फीकल स्लज एवं सेप्टेज प्रबंधन (एफ.एस.एस.एम), 2017 नीति**

इस पहलू को संबोधित करने हेतु शहरी विकास मंत्रालय (एम0ओ0यू0डी0), भारत सरकार ने 2017 में "राष्ट्रीय फ़ीकल स्लज़ एवं सेप्टेज प्रबंधन नीति" तैयार तथा अधिसूचित की है, जिसमें समग्र दृष्टि से सभी भारतीय शहर एवं कस्बे पूरी तरह से स्वच्छ, स्वस्थ और रहने योग्य बनाए रखने और गरीबों पर ध्यान केन्द्रित करते हुए इष्टतम सार्वजनिक स्वास्थ्य स्थिति प्राप्त करने और स्वच्छ वातावरण बनाए रखने के लिए फ़ीकल स्लज़ और सेप्टेज प्रबंधन एवं बेहतर ऑनसाइट स्वच्छता सेवाओं के साथ अच्छी स्वच्छता प्रथाओं को बनाए रखना सुनिश्चित किया जा सके ।

शहरी एफ0एस0एस0एम0 नीति का मुख्य उद्देश्य सभी निकायों में एफ0एस0एस0एम0 सेवाओं की सुविधा प्रदान करना एवं इस सेवा के राष्ट्रव्यापी कार्यान्वयन हेतु संदर्भ, प्राथमिकताएं एवं दिशा निर्धारित करना है ताकि सुरक्षित एवं धारणीय स्वच्छता प्रत्येक घर, कस्बे और शहर के सभी लोगों हेतु एक वास्तविकता बन जाए ।

1.2. **उत्तराखंड में सेप्टेज प्रबंधन प्रोटोकॉल**

माननीय एन0जी0टी0 ने आदेश संख्या 10/2015 दिनांक 10.12.2015 के माध्यम से उत्तराखंड में सेप्टेज प्रबंधन के संबंध में निम्नलिखित निर्देश जारी किए हैं-

"उचित प्रबंधन योजना या प्रोटोकॉल राज्य और उसकी सभी एजेंसियों द्वारा तैयार और अधिसूचित किया जाएगा ताकि यह सुनिश्चित किया जा सके कि सामान्य सेप्टिक टैंक या बायो डाइजेस्टर में एकत्र किए गए सीवरेज या सीवेज प्रवाह को नियमित रूप से खाली किया जाता है और उचित उपचार के लिए एस0टी0पी0 में ले जाया जाता है जिसके प्रणामस्वरूप बायो डाइजेस्टर में एकत्रित खाद आसपास के किसानों को नि:शुल्क वितरित की जाएगी और इस उद्देश्य के लिए राज्य प्रशासन संबंधित ग्राम पंचायतों की प्रभावी भागीदारी सुनिश्चित करेगा ।"

उपरोक्त के अनुपालन में एवं जल आपूर्ति एवं सीवरेज उपनियम, 1975/नगर निगम अधिनियम, 1959 के प्रावधानों के अनुसार, शहरी विकास निदेशालय ने उत्तराखंड जल संस्थान एवं जी0आई0जेड0 के समन्वय से **"सेप्टेज प्रबंधन हेतु प्रोटोकॉल"** तैयार किया है जिसे सचिव, शहरी विकास विभाग, उत्तराखंड सरकार द्वारा शासनादेश संख्या 597/iv(2)-यूडी-2017-50/16 दिनांक 22 मई 2017 के माध्यम से शहरों/कस्बों में प्रवर्तन हेतु स्वीकृत एवं अधिसूचित किया गया है ।

राज्य का सेप्टेज प्रबंधन प्रोटोकॉल सेप्टेज/फ़ीकल स्लज़ के संग्रह, परिवहन, उपचार, निपटान और पुनः उपयोग के संदर्भ में वैज्ञानिक सेप्टेज प्रबंधन सुनिश्चित करने में राज्य और शहरों का मार्गदर्शन करता है । प्रोटोकॉल के स्पष्ट दिशानिर्देश राज्य और शहर के अधिकारियों को अपने सेप्टेज प्रबंधन को उन्नत करने और ठोस निवेश परियोजनाओं की पहचान करने में सक्षम बनाते हैं । प्रोटोकॉल के प्रभावी कार्यान्वयन और अंतर विभागीय समन्वय हेतु प्रत्येक निकाय को सेप्टेज मैनेजमेंट सेल (एस0एम0सी0) का गठन किया जाना अनिवार्य होगा । जिसमें यूएलबी, जल निगम, जल संस्थान शामिल हैं ।

2. <u>फीकल स्लज एवं सेप्टेज प्रबंधन (एफ.एस.एस.एम.) के उपनियम का नियमितकरण</u>

सचिव, उत्तराखण्ड शासन द्वारा दिये गये निर्देशों के सन्दर्भ में एवं शहरी विकास विभाग, उत्तराखण्ड सरकार द्वारा शासनादेश संख्या 97/iv(2)-यूडी-2017-50/16 दिनांक 22 मई 2017 के माध्यम से अधिसूचित सेप्टेज प्रबंधन प्रोटोकाल के अनुसार एवं उ0 प्र0, राज्य जल आपूर्ति एवं सीवरेज के अधिनियम 1975, नगर पालिका के अधिनियम 1916 एवं उ0 प्र0 नगर निगम के अधिनियम 1959 जिन्हें उत्तराखंड सरकार द्वारा संशोधित कर अपनाया गया है एवं हरिद्वार नगर निगम में लागू सभी नियमों, कानूनों या अधिनियमों, सेप्टेज / फ़ीकल स्लज़ के खाली करने, संग्रह, परिवहन और निपटान के लिए नियामक ढांचा, जिसे "नगर निगम हरिद्वार - फीकल स्लज एवं सेप्टेज प्रबंधन (एफ.एस.एस.एम.) उपनियम - 2021" के रूप में संदर्भित किया जाएगा, को एतद्द्वारा नगर निगम हरिद्वार की सीमा के क्षेत्राधिकार के अंतर्गत कार्यान्वयन हेतु अनुमोदित और अधिसूचित किया जाता है ।

2.1. <u>शीर्षक, विस्तार और प्रारंभ</u>

2.1.1. इन उपनियमों को **"नगर निगम हरिद्वार - फीकल स्लज एवं सेप्टेज प्रबंधन (एफ.एस.एस.एम.) उपनियम - 2021"** कहा जाएगा ।

2.1.2. यह उपनियम उत्तराखंड के नगर निगम हरिद्वार के अधिकार क्षेत्र में लागू होंगे।

2.1.3. यह उपनियम उत्तराखंड राज्य सरकार के राजपत्र अधिसूचना (Gazette notification) की तारीख से लागू होंगे ।

2.2. अधिकार

यह अधिनियम निम्नलिखित कानून के प्रावधानों को कार्यान्वयन में लाने के लिए सक्षम करता है:

2.2.1. उत्तराखंड राज्य सेप्टेज प्रबंधन प्रोटोकोल, 2015
2.2.2. राष्ट्रीय नीति फीकल स्लज और सेप्टेज प्रबंधन (एफ.एस.एस.एम), 2017
2.2.3. CPHEEO मैनुअल ऑन सीवरेज एंड सीवेज मैनेजमेंट, 2013
2.2.4. मॉडल बिल्डिंग उपनियम, 2016 और अन्य लागू बिल्डिंग कोड
2.2.5. मैनुअल स्कैवेंजर्स (हाथ से मैला उठाने वाले कर्मियों) के नियोजन का प्रतिषेध और उनका पुनर्वास अधिनियम, 2013
2.2.6. IS Code 2470 Part I & II, 1985 (Reaffirmed 1996) - Code of Practice for Installation of Septic Tanks (सेप्टिक टैंक की स्थापना के लिए अभ्यास संहिता)
2.2.7. केंद्रीय कानून, नियम और विनियम (पर्यावरण संरक्षण अधिनियम, 1986)
2.2.8. जल (प्रदूषण की रोकथाम और नियंत्रण) अधिनियम, 1974
2.2.9. उत्तराखंड के समस्त राज्य कानून पानी और स्वच्छता से संबंधित

2.3. फीकल स्लज एवं सेप्टेज प्रबंधन (एफ.एस.एस.एम.) का मूल संकल्पना

राष्ट्रीय शहरी स्वच्छता नीति (एन0यू0एस0पी0), 2008 विशेष रूप से सुरक्षित और स्वच्छ सफाई सुविधाओं के साथ साथ स्लज़ का उचित संग्रह तथा साइट पर उपलब्ध अधिष्ठापनों से उचित निपटान और उपचार के महत्व पर प्रकाश डालती है । सेप्टेज प्रबंधन नियमित रूप से (i) सेप्टिक टैंक/बायो-डाइजेस्टर से निकलने वाले स्लज़ का सुरक्षित निपटान (ii) सेप्टिक टैंक/बायो-डाइजेस्टर से सेप्टेज / स्लज़ को सुरक्षित रूप से हटाना और (iii) सेप्टिक टैंक/बायो डाइजेस्टर का उचित संचालन और रखरखाव किए जाने की आवश्यकता पर ज़ोर देता है ।

2.4. परिभाषाएं

2.4.1. **"Septage"** - अर्ध-ठोस अवस्था में बसा हुआ ठोस पदार्थ है जो आमतौर पर सेप्टिक टैंक के तल पर बसे ठोस और पानी का मिश्रण होता है। इसमें एक आक्रामक गंध, उपस्थिति है जो कार्बनिक और रोगजनक सूक्ष्म जीवों में उच्च है I बायो-डाइजेस्टर के मामले में सेप्टेज वह कीचड़ है जो पूरी तरह से पच नहीं पाया है, ऐसा तब होता है जब बायो डाइजेस्टर ठीक से काम नहीं कर रहा हो ।

2.4.2. **Scum** - तेल और ग्रीस जो ऊपर तैरता है।

2.4.3. **Influent**- मानव मल सहित किसी घर या समुदाय का तरल अपशिष्ट।

2.4.4. **Effluent** - एक सेप्टिक टैंक से सतह पर तैरने वाला तरल निर्वहन।

2.4.5. **Supernatant liquor** - स्थिर ठोस पदार्थों पर तरल की परत जो इससे अलग हो गए हैं।

2.4.6. **De-sluding-** सेप्टिक टैंक से संचित कीचड़ / स्लज़ या सेप्टेज को हटाने की प्रक्रिया ।

2.4.7. **Facility-** कोई भी साइट या स्थान जहां सेप्टेज का नियंत्रण किया जाता है ।

2.4.8. **Septic Tank** - एक भूमिगत टैंक जो ठोस पदार्थों के जमने और अवायवीय पाचन के संयोजन से अपशिष्ट जल का उपचार करता है । Effluents को सोक पिट या ट्रेंच में छोड़ा जा सकता है एवं ठोस पदार्थों को समय-समय पर पंप करना पड़ता है ।

2.4.9. **Bio Digester** - एक बायो डाइजेस्टर शौचालय एक एनारोबिक मल्टी कम्पार्टमेंट टैंक है जिसमें इनोकुलम (एनारोबिक बैक्टीरिया) होता है जो जैविक सामग्री को जैविक रूप से पचाता है । यह प्रणाली पर्यावरण के अनुकूल तरीके से मल अपशिष्ट को अस्थिर पानी और गैसों में परिवर्तित करती है ।

2.4.10. **Sludge-** अर्ध-ठोस स्थिति में बसा हुआ ठोस पदार्थ है । यह आमतौर पर सेप्टिक टैंक, तालाबों आदि के तल पर जमा ठोस और पानी का मिश्रण होता है । सीवेज़ स्लज़ शब्द का इस्तेमाल आम तौर पर केंद्रीकृत अपशिष्ट जल उपचार से अवशेषों का वर्णन करने के लिए किया जाता है, जबकि सेप्टेज शब्द का प्रयोग सेप्टिक टैंकों के अवशेषों का वर्णन करने के लिए किया जाता है।

2.4.11. **Faecal sludge** - पिट वाले शौचालयों और सेप्टिक टैंकों की ठोस या जमी हुई सामग्री । फ़ीकल स्लज़ निकाय के अपशिष्ट जल उपचार संयंत्रों में उत्पादित स्लज़ से भिन्न होता है । फ़ीकल स्लज़ के गुण एक घर से दूसरे घर में, एक शहर से दूसरे शहर में और एक देश से दूसरे देश में व्यापक रूप से भिन्न हो सकते हैं । फ़ीकल स्लज़ के भौतिक, रासायनिक और जैविक गुण भंडारण की अवधि, तापमान, गड्ढों के सेप्टिक टैंकों में भूजल या सतही जल के रिसाव, सेप्टिक टैंकों के प्रदर्शन और टैंक खाली करने की तकनीक और पैटर्न से प्रभावित होते हैं ।

2.4.12. **Septage Management** - सेप्टिक टैंक, बायो डाइजेस्टर के प्रबंधन के लिए व्यापक कार्यक्रम और सेप्टिक टैंक सामग्री के निस्तारण, परिवहन, उपचार और निपटान के लिए प्रक्रियाओं को संदर्भित करता है ।

2.4.13. **"Septage Transporter"** - सेप्टेज ट्रांसपोर्टर का अर्थ है कोई भी व्यक्ति जो घरेलू सेप्टेज के संग्रह, परिवहन, निपटान के कार्यों में तैनात है ।

अन्य सभी शब्द और अभिव्यक्ति जो इस उपनियम में प्रयुक्त हैं और इस उपनियम में परिभाषित नहीं हैं लेकिन जल आपूर्ति और सीवरेज अधिनियम 1975 तथा नगर निगम अधिनियम 1959 में परिभाषित हैं, का वही अर्थ होगा जो उन्हें अधिनियम के तहत या उसके अभाव में दिया गया है, जिसका अर्थ आमतौर पर जल आपूर्ति और सीवरेज उपचार/निपटान उद्योग में समझा जाता है।

3. उद्देश्य और कार्य क्षेत्र :-

3.1. सेप्टिक टैंक और बायो डाइजेस्टर का निर्माण, नियमित रखरखाव, परिवहन, उपचार और सेप्टेज के सुरक्षित निपटान के लिए एक नियामक ढांचा प्रदान करना।

3.2. परिसर के मालिकों द्वारा सेप्टिक टैंक/बायो डाइजेस्टर और सेप्टेज ट्रांसपोर्टरों से जुड़े दायित्वों का अनुपालन सुनिश्चित करने हेतु की जाने वाली कार्रवाई को निर्धारित करना।

3.3. उचित निरीक्षण और प्रवर्तन तंत्र प्रदान करना।

3.4. उचित सेप्टेज प्रबंधन के लिए स्थायी आधार पर लागत वसूली सुनिश्चित करना।

3.5. सेप्टेज प्रबंधन में निजी और गैर-सरकारी क्षेत्र की भागीदारी को सुगम बनाना।

4 सेप्टेज प्रबंधन के तत्व

4.1 निगरानी समिति

4.2 सेप्टेज मैनेजमेंट सेल (एस०एम०सी०)

4.3 वैयक्तिक सेप्टिक टैंक / बायो डाइजेस्टर, सामुदायिक सेप्टिक टैंक / बायो डाइजेस्टर की पहचान

4.4 सेप्टेज के उपचार हेतु आधारिक संरचना का निर्माण

4.4.1 सेप्टेज का संग्रह

4.4.2 सेप्टेज का परिवहन

4.4.3 सेप्टेज का उपचार और निपटान

4.1 निगरानी समिति

सेप्टेज प्रबंधन से संबंधित गतिविधियों की समय-समय पर निगरानी करने के लिए निम्नलिखित निगरानी समिति होगी-

क्र०सं०	पदनाम	सदस्य
1.	जिलाधिकारी, हरिद्वार	अध्यक्ष
2.	मा0 मेयर / महापौर, नगर निगम हरिद्वार	सह अध्यक्ष
3.	नगर आयुक्त, नगर निगम हरिद्वार	सदस्य
4.	राज्य प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड के प्रतिनिधि	सदस्य
5.	अधीक्षण अभियंता, उत्तराखंड जल निगम	सदस्य
6.	अधीक्षण अभियंता, उत्तराखंड जल संस्थान	सदस्य
7.	स्वास्थ्य विभाग के प्रतिनिधि	सदस्य
8.	टाउन एंड कंट्री प्लानिंग विभाग के प्रतिनिधि	सदस्य

4.2 **सेप्टेज मैनेजमेंट सेल (एस0एम0सी0)**

सेल में निम्नलिखित सदस्य होंगे:

क्र0सं0	पदनाम	सदस्य
1.	नगर आयुक्त, नगर निगम हरिद्वार	अध्यक्ष
2.	उप /अपर / सहायक नगर आयुक्त, नगर निगम हरिद्वार	सदस्य सचिव
3.	उत्तराखंड जल संस्थान के प्रतिनिधि जो अधिशासी अभियंता के पद से नीचे न हो	सदस्य
4.	पेयजल निगम के प्रतिनिधि जो अधिशासी अभियंता के पद से नीचे न हो	सदस्य
5.	राज्य प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड के प्रतिनिधि	सदस्य
6.	स्वास्थ्य विभाग के प्रतिनिधि	सदस्य
7.	अन्य व्यक्ति जिन्हें एस0एम0सी0 को तकनीकी सलाह देने के लिए आमंत्रित किया जा सकता है	सदस्य

एस0 एम0 सी0 की जिम्मेदारियां:

एस0 एम0 सी0 यह सुनिश्चित करने के लिए जिम्मेदार होगा कि व्यक्तिगत या सामान्य सेप्टिक टैंक और बायोडाइजेस्टर से सेप्टेज / अपशिष्ट एकत्रित हो कर परिणामी सुरक्षित निपटान से पूर्व उचित रूप से. उपचारित हो । बायोडाइजेस्टर सेल के अपचित या आंशिक रूप से पचने वाले कचरे को भी सुरक्षित निपटान से पहले एकत्र और उपचारित जाएगा। बायो-डाइजेस्टर से निकाली गई खाद क्षेत्र के आसपास के किसानों को नि:शुल्क वितरित की जाएगी।

एस0एम0सी0 के पास प्रोटोकॉल को लागू किए जाने हेतु किसी भी व्यक्ति, सरकारी निकाय या निजी उद्यमी पर जुर्माना लगाने की शक्ति होगी ।

4.3 **वैयक्तिक अथवा सामुदायिक सेप्टिक टैंक / बायो डाइजेस्टर की पहचान**

4.3.1 **सेप्टिक टैंक / बायो डाइजेस्टर की पहचान :** एस.एम.सी. व्यक्तिगत सेप्टिक टैंक, सामुदायिक सेप्टिक टैंक और इसके अपशिष्ट/सेप्टेज के निपटान की विधि जैसी स्वच्छता प्रणालियों के बारे में डेटा एकत्र करने और संकलित करने हेतु क्षेत्राधिकार के भीतर सभी घरों का सर्वेक्षण करेगा । यह यू0एल0बी0 के क्षेत्र में प्रत्येक बायो डाइजेस्टर का रिकॉर्ड रखने हेतु भी सर्वेक्षण करेगा, जो या तो व्यक्तिगत या किसी निजी या सरकारी निकाय द्वारा संचालित है ।

4.3.2 **सेप्टिक टैंक / बायो डाइजेस्टर का स्थान:** एस0एम0सी0 अपने स्वामित्व (जैसे सुलभ शौचालय), व्यक्तिगत या संस्थागत बायो डाइजेस्टर के साथ सामान्य सेप्टिक टैंकों के स्थान को भी रिकॉर्ड करेगा । एस0एम0सी0 नए निर्मित सेप्टिक टैंक/बायो डाइजेस्टर को रिकॉर्ड करके भी जानकारी को अपडेट करेगा ।

4.3.3 **सेप्टिक टैंक, बायो डाइजेस्टर का पंजीकरण:** सेप्टिक टैंक/बायो डाइजेस्टर वाले ऐसे प्रत्येक घर/संस्थान का पंजीकरण एस0एम0सी0 द्वारा किया जाएगा । एस0एम0सी0 यह सुनिश्चित करेगी कि नए सेप्टिक टैंक उचित सोक पिट, लगाए गए फिल्टर आदि के साथ डिजाइन किए गए हैं । यदि किसी मौजूदा सेप्टिक टैंक में उसके अपशिष्ट का उपचार नहीं होता है, तो एस0एम0सी0 उस व्यक्ति, सरकारी निकाय या निजी उद्यमी को उचित समय के भीतर सेप्टिक टैंक से अपशिष्ट के उपचार की विधि का निर्माण करने का निर्देश देगा अन्यथा एस0एम0सी0 द्वारा दंड लागू किया जाएगा ।

4.3.4 **मकान मालिक की जिम्मेदारियां:** सेप्टिक टैंक से जुड़े परिसर का मालिक इसके संचालन और रखरखाव के लिए जिम्मेदार होगा और यह सुनिश्चित करेगा कि इसके हिस्से और घटक उद्देश्य के लिए उपयुक्त हैं, जहां उपयुक्त हो वहाँ परिचालित हो, अच्छी स्थिति में रखा गया हो और समय पर इसकी मरम्मत की जाती है ताकि मानव स्वास्थ्य या पर्यावरण के लिए जोखिम को रोका जा सके ।

4.3.4.1 सेप्टिक टैंक से जुड़े परिसर के मालिक को साल में कम से कम एक बार स्लज़ के स्तर की जांच करनी चाहिए ताकि अपशिष्ट /effluent सेप्टिक टैंक या उसके किसी भी हिस्से से सतही पानी में या ज़मीन के नीचे के पानी में न बहे, न ही कहीं रिसाव की स्थिति उत्पन्न हो ।

4.3.4.2 सेप्टिक टैंक से जुड़े परिसर के मालिक को यह सुनिश्चित करना होगा कि छत का पानी / सतही जल का अपवाह सेप्टिक टैंक में प्रवेश नहीं करेगा।

4.3.4.3 स्वामित्व न होने की स्थिति में SMC सामान्य सेप्टिक टैंकों का स्वामी होगा। यदि सामुदायिक सेप्टेज प्रबंधन हेतु बायो डाइजेस्टर का निर्माण किया जाता है, तो इसे रखरखाव हेतु एस0एम0सी0 को सौंप दिया जाएगा।

4.4 <u>सेप्टेज के उपचार हेतु आधारिक संरचना का निर्माण</u>

4.4.1 <u>सेप्टेज का संग्रह</u>

4.4.1.1 हालांकि डी-स्लजिंग आवृत्तियों में भिन्नता है, टैंकों की डी-स्लजिंग हर दो से तीन साल में एक बार या जब टैंक दो तिहाई भर जाएगा तब की जाएगी ।

4.4.1.2 सेप्टिक टैंक से जुड़े परिसर का मालिक एस0एम0सी0 द्वारा उपलब्ध कराए गए कार्यक्रम के अनुसार टैंक को खाली किए जाने हेतु एस0एम0सी0 को सूचित करने के लिए जिम्मेदार होगा ।

4.4.1.3 डी-स्लजिंग केवल एस0एम0सी0 द्वारा पंजीकृत और अधिकृत सेप्टेज ट्रांसपोर्टरों द्वारा व एस0एम0सी0 के निर्देशों के अनुसार ही किया जाएगा।

4.4.1.4 सेप्टिक टैंकों से स्लज़ हटाने और सेप्टेज के प्रभावी संग्रह हेतु केवल मशीनीकृत वाहनों का उपयोग किया जाएगा। सेप्टिक टैंकों को खाली किए जाने हेतु सेप्टेज ट्रांसपोर्टरों द्वारा यांत्रिक टैंकरों का उपयोग किया जाएगा। जहां ऐसे वाहन उपलब्ध नहीं हैं या संख्या अपर्याप्त है, एस0एम0सी0 निजी उद्यमियों को नए वाहन शुरू करने के लिए प्रोत्साहित करेगी।

4.4.1.5 एस0एम0सी0 सेप्टिक टैंक आदि की सफाई का समय तय करेगा और मालिक को एक चार्ट प्रदान करेगा जिसमें टैंक खाली करने की तारीख दर्ज की जाएगी। सेप्टिक टैंकों में इस स्लज़ के स्तर को निर्धारित किए जाने हेतु सेप्टिक टैंक की नियमित निगरानी की जाएगी। एस0एम0सी0 सेप्टिक टैंकों में अपशिष्ट/ effluent, स्लज़ के स्तर का आकलन करने के लिए सेप्टिक टैंक की निगरानी हेतु उचित विधि और उपकरणों का उपयोग करेगा। यदि सेप्टिक टैंक में स्लज़ भंडारण के लिए पर्याप्त जगह है तो उस टैंक के खाली होने के समय को बढ़ाया जा सकता है।

4.4.2 <u>सेप्टेज / फ़ीकल स्लज़ का परिवहन</u>

4.4.2.1 **पंजीकरण:** एस0एम0सी0 मशीनीकृत खाली करने और परिवहन वाहन रखने वाले निजी उद्यमियों को पंजीकृत करेगा एवं लाइसेंस जारी करेगा। लाइसेंस जारी करने से पहले एस0एम0सी0 यह सुनिश्चित करेगी कि इन ट्रकों में उचित उपकरण और पर्याप्त सुरक्षा उपाय हैं। लाइसेंस एक वर्ष हेतु वैध होगा।

4.4.2.2 एक सेप्टेज ट्रांसपोर्टर के रूप में पंजीकरण और सेप्टेज परिवहन वाहन के पंजीकरण हेतु एस0एम0सी0 को आवेदन किया जाएगा। एस0एम0सी0 निजी व्यक्तियों को भी इस गतिविधि में शामिल होने हेतु प्रेरित करेगा। पंजीकरण फॉर्म और परमिट का प्रारूप क्रमशः **Annexure/** अनुलग्नक 1 तथा 2 में दिया गया है।

4.4.2.3 पंजीकृत सेप्टेज ट्रांसपोर्टर द्वारा सेप्टेज के संग्रह, परिवहन और निपटान में किसी भी व्यक्ति/वाहन को तब तक काम में नहीं लगाया जाएगा, जब तक कि वह वर्णित सभी प्रोटोकॉल के तहत एस0एम0सी0 के साथ एक सेप्टेज परिवहन वाहन के रूप में पंजीकृत न हो।

तालिका 1: पंजीकरण शुल्क

a	प्रारंभिक पंजीकरण (01 वर्ष हेतु)	-	रु. 2000.00 प्रति वाहन
b	पंजीकरण का नवीनीकरण	-	रु. 1500.00 प्रति वाहन
c	नाम परिवर्तन या स्वामित्व का परिवर्तन	-	रु. 1000.00 प्रति वाहन
d	आवश्यकतानुसार अन्य संशोधन	-	रु. 1000.00 प्रति वाहन

4.4.2.4 **पंजीकरण का नवीनीकरण:** पंजीकरण के नवीनीकरण हेतु सेप्टेज ट्रांसपोर्टर द्वारा आवेदन पंजीकरण की समाप्ति से कम से कम एक महीने पहले किया जाएगा । इन उपनियमों के तहत दिया गया प्रत्येक नवीनीकरण तीन वर्ष से अधिक की अवधि के लिए नहीं होगा ।

4.4.2.5 **उपयोगकर्ता शुल्क:**

4.4.2.5.1 सेप्टिक टैंक से जुड़े परिसर के सभी मालिकों को समय-समय पर एस0एम0सी0 द्वारा अधिसूचित निर्देशों के अनुसार अपने सेप्टिक टैंकों की सफाई और सेप्टेज के उपचार हेतु उपयोगकर्ता शुल्क का भुगतान करना होगा ।

4.4.2.5.2 एस0एम0सी0 समय-समय पर शामिल लागतों में संशोधन के आधार पर शुल्कों में संशोधन करेगी । इस तरह के उपयोगकर्ता शुल्कों में स्लज़ निकालने, परिवहन, उपचार और निपटान की लागत शामिल होगी ।

4.4.2.5.3 एस0एम0सी0 सेप्टिक टैंक से जुड़े परिसर के मालिकों से उपयोगकर्ता शुल्क लेने हेतु सेप्टेज ट्रांसपोर्टर सहित किसी भी व्यक्ति को अधिकृत कर सकता है ।

4.4.2.6 **स्लज़ हटाने की निगरानी:** एस0एम0सी0 सेप्टिक टैंकों को खाली करने का रिकॉर्ड रखेगी । सेप्टिक टैंक वाले परिसर के मालिक/अधिभोगी को एस0एम0सी0 द्वारा आपूर्ति किए गए चार्ट का रखरखाव करना होगा । इस चार्ट में खाली करने की तारीख और अगली नियत तारीख दर्ज की जाएगी । SMC द्वारा रिकॉर्ड बनाए रखा जाएगा ।

4.4.2.7 SMC स्लज़ खाली करने का मासिक कार्यक्रम बनाएगी। यह कार्यक्रम पूर्व में उल्लिखित निगरानी या समय अवधि के आधार पर तय किया जाएगा। अनुसूची तैयार करते समय निम्नलिखित पर विचार किया जाएगा:

4.4.2.7.1 प्रत्येक ट्रक उसी या आस-पास के इलाकों से स्लज़ एकत्र करेगा ।

4.4.2.7.2 स्लज़ की मात्रा के आधार पर, सेप्टिक टैंक की सफाई के लिए संख्या एक से अधिक हो सकती है और शुल्क प्रति ट्रिप होगा ।

4.4.2.7.3 शुल्क सेप्टेज ट्रीटमेंट प्लांट (एस0ई0टी0पी0) से इलाके की दूरी के अनुसार तय किया जाएगा ।

4.4.2.7.4 वाहन की आवाजाही यातायात भार के अनुसार तय की जाएगी ।

4.4.3 <u>सेप्टेज का उपचार और निपटान</u>

4.4.3.1 नगर निगम हरिद्वार में वर्तमान में कुल 04 एस0टी0पी0 मौजूद है जिनका विवरण निम्नानुसार है, जिनमें से सेप्टेज को निकटतम एस0टी0पी0 में ले जाया जाएगा :

क्र0सं0	एस0टी0पी0 का स्थान	एस0टी0पी0 की क्षमता
1	जगजीतपुर	27 MLD
2	जगजीतपुर	18 MLD
3	सराय	18 MLD
4	सराय	14 MLD

4.4.3.2 एस0टी0पी0/एस0ई0टी0पी0 के निर्माण और रखरखाव हेतु निजी भागीदारों को शामिल करने के लिए प्रोत्साहित किया जाएगा अन्यथा राज्य सरकार नए एस0टी0पी0/सेप्टेज उपचार सुविधा के निर्माण के साथ-साथ सभी STP/सेप्टेज ट्रीटमेंट सुविधा के रखरखाव के लिए धन का प्रावधान करेगी।

4.4.3.3 एस0टी0पी0/सेप्टेज ट्रीटमेंट सुविधा का निर्माण उत्तराखंड पेयजल निगम या राज्य सरकार द्वारा निर्देशित किसी अन्य एजेंसी द्वारा किया जाएगा और रखरखाव उत्तराखंड जल संस्थान या राज्य सरकार द्वारा निर्देशित किसी अन्य एजेंसी द्वारा किया जाएगा।

4.4.3.4 निर्माण एजेंसी ऐसी तकनीक पर आधारित एस0टी0पी0/सेप्टेज ट्रीटमेंट सुविधा का निर्माण करेगी जिसके निर्माण और रखरखाव का व्यय कम हो। निर्माण एजेंसी उपचारित सेप्टेज/सीवेज को पुन: उपयोग हेतु भी प्रावधान करेगी। इन एस0टी0पी0/एस0ई0टी0पी0 को सी0पी0सी0बी0 द्वारा निर्दिष्ट मानदंडों को पूरा करना चाहिए ।

5 <u>सुरक्षा उपाय</u>

5.1 डी-स्लजिंग की प्रक्रिया उपयुक्त तकनीक, उपकरण, सुरक्षा गियर का उपयोग कर और संचालन प्रथाओं का उपयोग करके किया जाना चाहिए जो सी0पी0एच0ई0ई0ओ0 मैनुअल 2013 के अनुपालन में हैं और जैसा कि उत्तराखंड राज्य सेप्टेज प्रबंधन प्रोटोकॉल, 2017 में भी उल्लिखित है ।

5.2 सेप्टेज ट्रांसपोर्टर यह सुनिश्चित करेगा कि:-

5.2.1 सभी स्लज़ हटाने वाले कर्मचारी उपयुक्त व्यक्तिगत सुरक्षा उपकरण, सुरक्षा गियर और सहायक उपकरण पहनेंगे जिसमें कंधे की लंबाई के पूरी तरह से लेपित नियोप्रीन दस्ताने, रबर के जूते, एक फेस मास्क और आंखों की सुरक्षा हेतु उपकरण आदि शामिल है, जैसा कि हाथ से मैल उठाने वाले कर्मियों के नियोजन का प्रतिषेध और उनके पुनर्वास के नियम 2013 (Prohibition of Employment as Manual Scavengers & their Rehabilitation Rule,2013) में उल्लेखित है ।

5.2.2 संग्रह स्थल पर जाने से पहले सभी सुरक्षा उपकरणों का उपयोग किया जाएगा।

5.2.3 स्लज़ हटाने वाले सभी कामगारों को सुरक्षा उपकरणों का उपयोग करने और स्वच्छता प्रथाओं पर प्रशिक्षित किया जाता है ।

5.2.4 सेप्टिक टैंक में काम करते समय धूम्रपान वर्जित है ।

5.2.5 वाहन के संग्रहण स्थल पर जाने से पहले प्राथमिक चिकित्सा किट, गैस डिटेक्शन लैंप और अग्निशामक यंत्र को वाहन में रखा जाएगा ।

5.2.6 स्लज़ हटाने वाले कर्मचारी कभी भी सेप्टिक टैंक और गड्ढे वाले शौचालय में प्रवेश नहीं करेंगे और संचालन शुरू करने से पहले ढके हुए टैंकों को पर्याप्त अवधि के लिए खुला रखकर हवादार करेंगे ।

5.2.7 बच्चों को दूर रखा जाए और टैंक के ढक्कनों को हमेशा स्क्रू और ताले से सुरक्षित रहे । स्लज़ हटाने की प्रक्रिया करते समय श्रमिकों को सावधान रहना चाहिए क्योंकि ढक्कन या मैनहोल कवर पर अत्यधिक भार के परिणामस्वरूप टूट-फूट हो सकती है।

6 <u>सेप्टेज प्रबंधन के बारे में आई0ई0सी0 और क्षमता निर्माण</u>

एस0एम0सी0 लोगों को इन नियमों के बारे में जागरूक करने हेतु जागरूकता अभियान चलाएगी । सेप्टिक टैंक, बायो डाइजेस्टर, सेप्टिक टैंकों की सफाई, संग्रहण तंत्र, परिवहन, निपटान और सेप्टेज के उपचार की उचित निर्माण तकनीक के बारे में व्यक्ति, सरकारी निकायों या निजी उद्यमी को सिखाने के लिए समय-समय पर जागरूकता कार्यक्रम चलाया जाएगा । सेप्टेज के समुचित प्रबंधन के लिए विभिन्न गतिविधियों की निगरानी हेतु कर्मचारियों की नियमित रूप से हैंडहोल्डिंग की जाएगी ।

7 <u>सेप्टेज के संग्रह और परिवहन हेतु लाइसेंस</u>

7.1 <u>एस0एम0सी0 द्वारा जारी किया जाने वाला लाइसेंस</u>

7.1.1 एस0एम0सी0 के अध्यक्ष एस0एम0सी0 के अधिकारियों को अधिसूचित स्थानों पर सेप्टेज के संग्रह और परिवहन के लिए लाइसेंस जारी करने के लिए अधिकृत करेंगे ।

7.1.2 लाइसेंस **Annexure 2** में निर्धारित प्रारूप में जारी किया जाएगा और जारी होने की तारीख से एक वर्ष की अवधि के लिए वैध होगा, जब तक कि पहले रद्द नहीं किया गया हो ।

7.2 <u>लाइसेंस हेतु शुल्क</u>

एस0एम0सी0 लाइसेंस प्रदान करने हेतु आवेदन को संसाधित करने हेतु आवेदन शुल्क लेगा । शुल्क नॉन-रिफंडेबल होगा । शुल्क का भुगतान नकद या डिमांड ड्राफ्ट द्वारा नगर आयुक्त, नगर निगम हरिद्वार के पक्ष में किया जा सकता है जो निम्नानुसार होगा:-

<u>सेप्टेज के संग्रह और परिवहन हेतु लाइसेंस शुल्क (1 वर्ष के लिए)</u>

a) प्रारंभिक शुल्क - रु. 2000.00 प्रति वाहन

b) लाइसेंस का नवीनीकरण - रु. 1500.00 प्रति वाहन

(सभी शुल्क 10% प्रति वर्ष की दर से बढ़ेंगे।)

नोट:- (i) लाइसेंस की वैधता प्रारम्भिक तिथि से एक वर्ष तक हेतु होगी, जिसके बाद लाइसेंस को de-sludging के कार्य हेतु अवैध माना जाएगा एवं इसपर उल्लंघन के नियम लागू होंगे जब तक कि नवीनीकरण नहीं किया जाता है।

(ii) लाइसेंस के नवीनीकरण हेतु सेप्टेज ट्रांसपोर्टर द्वारा आवेदन पंजीकरण की समाप्ति से एक महीने पहले किया जाएगा।.

7.3 <u>लाइसेंस हेतु आवेदन</u>

सेप्टेज के संग्रह, परिवहन और निपटान हेतु लाइसेंस प्राप्त करने के लिए आवेदन **Annexure 2** में दिये गए प्रारूप के अनुसार एवं एस0एम0सी0 द्वारा निर्धारित दस्तावेजों के साथ प्रस्तुत किया जाएगा ।

8 <u>सेप्टेज का संग्रह और परिवहन</u>

8.1 <u>केवल लाइसेंस प्राप्त एजेंसी से सेवाएँ लेना</u>

8.1.1 भवन के प्रत्येक मालिक/अधिभोगी का यह कर्तव्य होगा कि वह केवल उन्हीं एजेंसियों की सेवाएं लें, जिन्हें सेप्टेज के संग्रहण और परिवहन के लिए नगर निगम हरिद्वार द्वारा लाइसेंस जारी किया गया है ।

8.1.2 मालिक/अधिभोगी इस बात की पुष्टि करेंगे कि ट्रांसपोर्टर को जारी किया गया लाइसेंस कार्य के निष्पादन की तारीख को वैध है ।

8.2 <u>सेप्टेज का संग्रह और परिवहन</u>

8.2.1 अधिसूचित स्थानों तक सेप्टिक टैंक अपशिष्ट के संग्रहण और परिवहन के लिए शुल्क एस0एम0सी0 द्वारा समय-समय पर निर्धारित किया जाएगा ।

8.2.2 कोई भी अनुज्ञप्तिधारी भवन के स्वामी/अधिभोगी से निर्धारित शुल्क से अधिक कोई राशि नहीं लेगा ।

8.2.3 एस0एम0सी0 द्वारा निर्धारित शुल्क से अधिक सेप्टेज के संग्रह और परिवहन के लिए शुल्क की कोई भी मांग लाइसेंसधारी को इन नियमों के उल्लंघन और लाइसेंस रद्द करने या दोनों के लिए निर्धारित दंड के लिए उत्तरदायी बनाएगा ।

8.3 <u>सेप्टेज के परिवहन हेतु वाहन</u>

सेप्टेज का परिवहन इस उद्देश्य हेतु पंजीकृत वाहनों में ही किया जाएगा ।

9 <u>सेप्टेज ट्रांसपोर्टर / लाइसेंसधारी की जिम्मेदारियां</u>

9.1 सेप्टेज ट्रांसपोर्टर समय-समय पर एस0एम0सी0 द्वारा निर्दिष्ट अनुमोदित ट्रीटमेंट सुविधा हेतु वाहन के सुरक्षित परिवहन के लिए जिम्मेदार होगा । सेप्टेज ट्रांसपोर्टर यह सुनिश्चित करेगा कि:

9.1.1 सेप्टेज के परिवहन हेतु उपयोग किए जाने वाले सभी पंजीकृत संग्रह वाहनों में उपकरण सहित रिसाव प्रूफ बॉडी और स्लज़/सेप्टेज को सुरक्षित करने हेतु लॉक होना चाहिए; जिसमें लागु मानकों का अनुपालन किया जाएगा।

9.1.2 सेप्टेज के परिवहन हेतु उपयोग किए जाने वाले किसी भी टैंक/उपकरण का उपयोग किसी अन्य सामग्री या तरल पदार्थ के परिवहन हेतु नहीं किया जाएगा।

9.1.3 उद्योगों से एस0ई0टी0पी0 तक केवल घरेलू सेप्टेज / स्लज़ की अनुमति होगी ।

9.1.4 वाहन के पास उत्तराखंड सरकार के परिवहन विभाग का वैध परमिट होना चाहिए।

9.1.5 आवेदक के पास इस उद्देश्य हेतु पर्याप्त रूप से प्रशिक्षित स्टाफ होना चाहिए।

9.1.6 चालक के पास वैध लाइसेंस होना चाहिए।

9.2 <u>दुर्घटना की स्थिति में अनुज्ञप्तिधारी का पूर्ण दायित्व</u>

किसी भी दुर्घटना या आपदा या जो भी मामला हो, किसी भी व्यक्ति, वाहन, संपत्ति और पर्यावरण को किसी भी नुकसान के लिए लाइसेंसधारी पूरी तरह से और पूरी तरह उत्तरदायी होगा ।

9.3 <u>कर्मचारियों का प्रशिक्षण</u>

लाइसेंसधारी मानव जाति और पर्यावरण को होने वाले नुकसान को कम करने के उपाय करने हेतु सुरक्षात्मक उपकरणों के सेप्टेज उपयोग के संग्रह, परिवहन और निपटान में तैनात कर्मचारियों के नियमित प्रशिक्षण के लिए जिम्मेदार होगा ।

9.4 <u>कर्मचारियों की नियमित स्वास्थ्य जांच</u>

अनुज्ञप्तिधारी यह सुनिश्चित करेगा कि नियुक्त प्रत्येक व्यक्ति वर्ष में कम से कम एक बार स्वास्थ्य जांच करवाए और उसका रिकॉर्ड नगर निगम हरिद्वार को प्रस्तुत करे।

9.5 <u>बीमा</u>

सफाई, परिवहन और सेप्टेज के निपटान की प्रक्रिया के दौरान लाइसेंसधारी द्वारा तैनात कर्मचारियों का दुर्घटना के लिए बीमा किया जाएगा ।

9.6 वाहन पर लाइसेंस और कलर कोडिंग का प्रदर्शन

9.6.1 सेप्टेज के परिवहन हेतू उपयोग किए जाने वाले वाहन पर लाइसेंस की एक प्रति प्रमुखता से प्रदर्शित की जाएगी ।

9.6.2 वाहन/कंटेनर/टैंकर को नीले रंग से रंगा जाएगा और उसपर सफेद रंग से"**Septic Tank Waste**"(अंग्रेजी में)और "सेप्टिक टैंक वेस्ट" **(हिंदी में)** में विधिवत चिह्नित (एहतियात) के साथ लिखा जाएगा।

9.7 जी0पी0एस0 सिस्टम की स्थापना

सेप्टेज के परिवहन हेतु उपयोग किए जाने वाले प्रत्येक वाहन में जी0पी0एस0 उपकरण लगे होंगे और ऐसे वाहनों की ट्रैकिंग के लिए एस0एम0सी0 और एस0एम0सी0 के अध्यक्ष द्वारा अधिसूचित एजेंसी को एक्सेस अधिकार दिए जाएंगे ।

9.8 लाइसेंस हेतु आवेदन

लाइसेंस हेतु आवेदन करने के लिए नियम और शर्तों के साथ फॉर्म नगर निगम हरिद्वार से प्राप्त किया जा सकता है । इसी तरह, आवश्यक दस्तावेजों और शुल्क के साथ विधिवत भरे हुए फॉर्म नगर निगम हरिद्वार में जमा किए जा सकते हैं, जहां संलग्न दस्तावेजों की फोटोकॉपी की संबंधित मूल दस्तावेजों के साथ तुलना की जाएगी । सेप्टेज के संग्रह, परिवहन और निपटान के लिए लाइसेंस प्राप्त करने के लिए आवेदन **Annexure 1** में दिये गए प्रारूप के अनुसार निम्नलिखित दस्तावेजों के साथ प्रस्तुत किया जाएगा।:-

9.8.1 पंजीकरण संख्या के साथ वाहन विवरण की स्वप्रमाणित प्रति ।

9.8.2 सक्षम प्राधिकारी से प्राप्त वैध बीमा प्रमाण पत्र की स्वप्रमाणित प्रति।

9.8.3 उत्तराखंड राज्य परिवहन प्राधिकरण या राष्ट्रीय परमिट से प्राप्त वाहन (वाहनों) के वैध परमिट की स्व-सत्यापित प्रति ।

9.8.4 आधिकारिक पत्राचार के लिए पते के प्रमाण की स्व-सत्यापित प्रति।

9.8.5 कर्मचारियों की सूची उनके पूर्ण विवरण अर्थात नाम, पिता का नाम, पता और शैक्षिक योग्यता के साथ ।

9.8.6 नगर आयुक्त, नगर निगम हरिद्वार के पक्ष में आहरित प्रति वाहन 2000/- (दो हजार मात्र) की राशि नकद/डी0डी0 या इलेक्ट्रॉनिक रूप से भुगतान के हस्तांतरण का प्रमाण ।

9.8.7 आवेदक को आवेदन जमा करने के समय सत्यापन हेतु वाहन के परमिट और पते के प्रमाण के सत्यापन के लिए मूल दस्तावेज साथ लाने होंगे ।

9.9 लाइसेंस रद्द करना

इन विनियमों के किसी भी प्रावधान के उल्लंघन के मामले में लाइसेंस रद्द कर दिया जाएगा और नियमों के उल्लंघन के लिए निर्धारित दंड का

भुगतान करने हेतु उत्तरदायी होगा ।

9.10 <u>स्लज / सेप्टेज ट्रांसपोर्टर हेतु दंड का प्रावधान</u>

किसी भी सेप्टेज ट्रांसपोर्टर को इन नियमों और उपनियमों का उल्लंघन करते हुए पाया गया तो या निम्न के अनुसार जुर्माना लगाया जाएगा या लाइसेंस समाप्ति की कार्यवाही की जाएगी या दोनों भी लागू किए जा सकते हैं ।

क्र0 सं0	शिकायत का प्रकार	पहली बार जुर्माना या कार्रवाई	दूसरी बार जुर्माना या कार्रवाई	तीसरी बार जुर्माना या कार्रवाई
1	लोगों द्वारा खराब सेवाओं की शिकायत	रु. 2,500/-	रु. 5,000/-	3 महीने हेतु परमिट का निलंबन
2	निर्दिष्ट स्थल/संयंत्र पर सेप्टेज/स्लज़ का डंपिंग न करना	रु. 10,000/-	6 महीने के लिए परमिट का निलंबन	परमिट रद्द करना
3	पंजीकरण न/पंजीकरण का नवीनीकरण न करना	रु. 10,000/-	रु. 20,000/-	आर0टी0ओ0 को अनुशंसा वाहन पंजीकरण रद्द करने हेतु
4	निर्दिष्ट सुरक्षा उपायों का पालन न करना	रु. 5,000/-	रु. 10,000/-	3 महीने हेतु परमिट का निलंबन / परमिट रद्द
5	वाहन पर लगे जी0पी0एस0 का काम न करना	रु. 5,000/-	रु. 10,000/-	3 महीने हेतु परमिट का निलंबन

नोट:

1. नगर निगम हरिद्वार किसी भी समय किसी भी निर्दिष्ट कार्रवाई का पालन न करने के लिए पंजीकरण रद्द/कानूनी कार्रवाई सहित कोई अन्य कार्रवाई कर सकता है ।
2. स्लज़ और सेप्टेज ट्रांसपोर्टर जिनका परमिट उपरोक्त कारणों के आधार पर रद्द कर दिया जाएगा, उनका नवीनीकरण नहीं किया जाएगा ।
3. फ़ीकल स्लज और सेप्टेज ट्रांसपोर्टर जिनका परमिट उपरोक्त कारणों के आधार पर दो बार निलंबित किया गया है, उनका नवीनीकरण नहीं किया जाएगा ।

10 <u>सेप्टेज का निपटान</u>

10.1 <u>निपटान स्थलों की पहचान</u>

एस0एम0सी0 द्वारा सेप्टेज ट्रीटमेंट प्लांट (एस0ई0टी0पी0) की पहचान की जाएगी वह स्थान सूचित किया जाएगा जहां लाइसेंस प्राप्त एजेंसियों द्वारा सेप्टेज जमा किया जा सकता है ।

10.2 <u>सेप्टेज प्राप्त करने हेतु बुनियादी ढांचे का निर्माण</u>

अधिसूचित स्थानों पर एस0एम0सी0 नगर निगम हरिद्वार, उत्तराखंड पेयजल निगम और राज्य सरकार द्वारा निर्देशित किसी भी अन्य एजेंसी की मदद से आवश्यक बुनियादी ढांचा तैयार करेगी और आवश्यक उपकरण प्रदान करेगी ताकि लाइसेंस प्राप्त एजेंसी द्वारा लाए गए सेप्टेज को जमा किया जा सके और उसका उचित तरीके से निपटान किया जा सके ।

10.3 <u>सेप्टेज प्राप्त करने हेतु कर्मचारियों की तैनाती</u>

प्रत्येक अधिसूचित स्थान पर सेप्टेज को प्राप्त करने और सेप्टेज ट्रीटमेंट संयंत्रों के माध्यम से इसे निपटाने के लिए पर्याप्त और प्रशिक्षित कर्मचारियों की तैनाती की एस0एम0सी0 द्वारा समय-समय पर निगरानी की जाएगी ।

10.4 <u>सेप्टेज प्राप्त किए जाने का समय</u>

एस0ई0टी0पी0 के अधिकारियों द्वारा प्रत्येक अधिसूचित स्थानों पर सप्ताह के सभी दिनों में सुबह 7.00 बजे से शाम 7.00 बजे तक सेप्टेज प्राप्त किया जाएगा ।

10.5 <u>औद्योगिक अपशिष्ट प्राप्त नहीं किए जाएंगे</u>

सेप्टेज ट्रीटमेंट प्लांट को किसी भी अधिसूचित स्थान पर औद्योगिक अपशिष्ट युक्त कोई सेप्टेज प्राप्त नहीं होगा ।

11 <u>उपयोगकर्ता शुल्क और उसका संग्रह</u>

सेप्टिक टैंक के मालिक अपने सेप्टिक टैंकों को हटाने, परिवहन और सेप्टेज के उपचार हेतु समय-समय पर उपनियमों के तहत निकाय द्वारा अधिसूचित उपयोगकर्ता शुल्क का भुगतान करेंगे । एस0एम0सी0 द्वारा समय-समय पर शामिल लागतों में संशोधन के आधार पर शुल्कों में संशोधन किया जाएगा । इस तरह के उपयोगकर्ता शुल्कों में स्लज़ निकालने, परिवहन, उपचार और निपटान की लागत शामिल होगी । उपयोगकर्ता शुल्क परिसर के मालिकों से संग्रह के निम्नलिखित तरीकों में से किसी एक द्वारा एकत्र किया जा सकता है:

11.1 नगर निगम हरिद्वार सेप्टेज ट्रांसपोर्टर सहित किसी भी व्यक्ति को सेप्टिक टैंक से जुड़े परिसर के मालिकों से उपयोगकर्ता शुल्क (सीवर / सेप्टेज शुल्क के नाम से) एकत्र करने के लिए अधिकृत कर सकता है । निकाय और अधिकृत सेप्टेज ट्रांसपोर्टर के बीच एक समझौता ज्ञापन (एम0ओ0यू0) दर्ज किया जाएगा और निष्पादित किया जाएगा जिसमें सेप्टेज ट्रांसपोर्टर को शुल्क लेने और नगर निगम हरिद्वार जमा किए जाने हेतु अधिकृत जाएगा ।

11.2 भविष्य में उपयोगकर्ता शुल्क मासिक संपत्ति कर या पानी शुल्क या SMC द्वारा तय किए गए किसी अन्य तरीके से जोड़ा जा सकता है ।

क्र0 सं0	वर्ग	शुल्क (प्रति ट्रिप 3000 लीटर तक)	सेप्टिक टैंक की डी-स्लजिंग हेतु अंतराल की अवधि
1	कच्चा घर / झोपड़ी	400.00	02 वर्ष
2	टिन शेड प्रकार का घर	800.00	02 वर्ष
3	अन्य सभी घर (पक्का)	1500.00	02 वर्ष
4	दुकान	2000.00	02 वर्ष
5	सभी सरकारी / निजी कार्यालय	2000.00	02 वर्ष
6	बैंक	2500.00	01 वर्ष
7	समुदाय / सार्वजनिक शौचालय	1000.00	01 वर्ष
8	खाने की दुकान	2000.00	01 वर्ष
9	होटल / गेस्ट हाउस (01 से 10 कमरे वाले)	2000.00	01 वर्ष
10	होटल / गेस्ट हाउस (11 से 20 कमरे वाले)	2500.00	01 वर्ष
11	20 कमरों से अधिक वाले होटल / गेस्ट हाउस	3000.00	01 वर्ष
12	धर्मशाला (01 से 25 कमरे वाले)	1600.00	01 वर्ष
13	धर्मशाला (25 कमरों से ऊपर)	2000.00	01 वर्ष
14	3 सितारा होटल	3000.00	01 वर्ष
15	5 सितारा होटल	4000.00	01 वर्ष
16	सरकार स्कूल / कॉलेज (1000 छात्रों तक)	1000.00	01 वर्ष
17	सरकार स्कूल / कॉलेज (1000 से अधिक छात्र)	1500.00	01 वर्ष
18	निजी स्कूल / कॉलेज (1000 छात्रों तक)	2000.00	01 वर्ष
19	निजी स्कूल / कॉलेज (1000 से अधिक छात्र)	3000.00	01 वर्ष
20	दुपहिया वाहन शोरूम (बिना सर्विस सेंटर के)	2000.00	01 वर्ष
21	दुपहिया वाहन शोरूम (सर्विस सेंटर के साथ)	3000.00	01 वर्ष
22	चौपहिया वाहन शोरूम (बिना सर्विस सेंटर के)	3000.00	01 वर्ष
23	चौपहिया वाहन शोरूम (सर्विस सेंटर के साथ)	3500.00	01 वर्ष
24	मल्टीप्लेक्स	2500.00	01 वर्ष
25	छात्रावास (01 से 10 कमरे)	1800.00	01 वर्ष
26	छात्रावास (11 से 20 कमरे)	2200.00	01 वर्ष
27	छात्रावास (21 से 50 कमरे)	2500.00	01 वर्ष
28	50 कमरों से ऊपर छात्रावास	3000.00	01 वर्ष
29	विवाह / बैंक्वेट हॉल	2500.00	01 वर्ष
30	बार	2500.00	01 वर्ष

31	सरकार अस्पताल (20 बिस्तर तक)	2000.00	01 वर्ष
32	सरकार अस्पताल (20 बिस्तर से ऊपर)	2500.00	01 वर्ष
33	नर्सिंग होम / क्लिनिक (20 बिस्तर तक)	2000.00	01 वर्ष
34	नर्सिंग होम / क्लिनिक (20 बिस्तर से ऊपर)	2500.00	01 वर्ष
35	पैथोलॉजिकल लैब	1500.00	01 वर्ष
36	20 बिस्तर तक का निजी अस्पताल	2500.00	01 वर्ष
37	निजी अस्पताल (21-50 बिस्तर)	3000.00	01 वर्ष
38	50 बिस्तर से ऊपर का निजी अस्पताल	3500.00	06 महीनें
39	चावल मिल/अन्य मिल	2000.00	01 वर्ष
40	सिडकुल क्षेत्र में कोई भी उद्योग	3000.00	01 वर्ष
41	सिडकुल क्षेत्र के बाहर कोई भी उद्योग	2500.00	01 वर्ष

नोट-

1. उक्त तालिका में अंकित शुल्क मात्र घरेलू सीवर हेतु है व किसी भी अन्य प्रकार के सीवेज़ जैसे औद्योगिक सीवेज़ या बायो सीवेज़ आदि का निस्तारण उपभोगकर्ता के द्वारा पृथक रूप से उचित प्रकार से किया जाना होगा ।
2. डी-स्लजिंग ऊपर दी गई विशिष्ट समय अवधि के अनुसार होगी या जब टैंक दो तिहाई भर जाएगा (जो भी पहले हो) ।
3. एस0एम0सी0 को सर्वेक्षण के अनुसार सफाई की अवधि और उपयोगकर्ता शुल्क को संशोधित करने हेतु अधिकृत किया जाएगा ।
4. उपयोगकर्ता शुल्क 5% प्रति वर्ष बढ़ाया जाएगा ।

11.3 <u>उपयोगकर्ताओं के लिए दंड का प्रावधान:</u>

इन नियमों और उपनियमों का उल्लंघन करने वाले किसी भी उपयोगकर्ता (सेप्टिक टैंक मालिक) को निर्धारित समय अवधि के 50 प्रतिशत तक की देरी हेतु सेप्टिक टैंक, सामुदायिक सेप्टिक टैंक या बायो डाइजेस्टर के वास्तविक सफाई शुल्क की दोगुनी राशि जुर्माने के रूप में भरना होगा । निर्धारित समय अंतराल के 50 प्रतिशत से ज्यादा देरी के बाद सेप्टिक टैंक, सामुदायिक सेप्टिक टैंक या बायो डाइजेस्टर के उनके वास्तविक सफाई शुल्क का तीन गुना राशि जुर्माने के रूप में भरना होगा ।

11.4 <u>उपयोगकर्ता शुल्क वितरण की शर्तें</u> -

11.4.1 उपयोक्ताओं से वसूले गए शुल्कों का वितरण नगर निगम हरिद्वार (सेवा प्रदाता प्रभार), जल संस्थान हरिद्वार (संचालन एवं अनुरक्षण प्रभार) एवं सेप्टेज ट्रांसपोर्टर (सेप्टिक टैंक से सेप्टेज उपचार संयंत्र तक सेप्टेज के परिवहन हेतु प्रभार) में किया जाएगा, जिसका अनुपात नीचे दी गई तालिका में के अनुसार किया जाएगा :

क्र0 सं0	उपयोगकर्ता शुल्क के अनुसार श्रेणी (प्रति ट्रिप 3000 लीटर तक)	पंजीकृत डी-स्लजिंग वाहन मालिक का हिस्सा	नगर निगम हरिद्वार का शेयर	जल संस्थान हरिद्वार का हिस्सा
1	रु. 2000/- तक	80%	10%	10%
2	रु. 2001 - 3000	75%	13%	12%
3	रु. 3001 - 4000	70%	15%	15%
4	रु. 4000 से ऊपर	65%	18%	17%

11.4.2 इस राशि का उपयोग निकटतम सरकारी, अर्ध सरकारी या निजी एस0टी0पी0/एस0ई0टी0पी0/ई0टी0पी0/सी0ई0टी0पी0 को नगर निगम हरिद्वार के स्वयं के सेप्टेज वाहन या निजी पंजीकृत सेप्टेज वाहन, जैसा भी मामला हो, को खाली करने हेतु या किसी अन्य कार्य से संबंधित शुल्क के भुगतान जैसे आई0ई0सी0 गतिविधियों को करने हेतु सेप्टेज उपकरण जैसे सुरक्षात्मक वस्त्र, गैसकिट, पंप, नली पाइप, सेप्टेज वाहन आदि की खरीद और नगर निगम हरिद्वार में जी0पी0एस0 ट्रैकर सिस्टम का विकास और निगरानी के लिए किया जाएगा ।

12 निरीक्षण और प्रवर्तन तंत्र

12.1 एस0एम0सी0 /शहरी स्थानीय निकाय द्वारा अधिकृत किसी भी व्यक्ति को व्यक्तिगत घर या समुदाय / संस्थान आदि के सेप्टिक टैंक और पिट शौचालय का निरीक्षण करने का पूरा अधिकार होगा ।

12.2 जैसा कि ऊपर उल्लेख किया गया है, अनुसूचित निकासी के गैर-अनुपालन हेतु निकासी शुल्क के अतिरिक्त दंड लगाया जाएगा और प्राप्त दंड नगर निगम हरिद्वार की आय होगी ।

12.3 निकाय व ऑपरेटर सेप्टिक टैंकों को खाली करने का रिकॉर्ड रखेंगे । (Annexure-3)

12.4 सेप्टिक टैंक, बायो डाइजेस्टर की उचित निर्माण तकनीक, सेप्टिक टैंकों की सफाई, संग्रह तंत्र, परिवहन, निपटान और सेप्टेज के उपचार के बारे में व्यक्ति, सरकारी निकायों या निजी उद्यमी को सिखाने के लिए समय-समय पर जागरूकता कार्यक्रम चलाया जाएगा ।

ह0 (अस्पष्ट)
सहायक नगर आयुक्त,
नगर निगम हरिद्वार।

ह0 (अस्पष्ट)
नगर आयुक्त,
नगर निगम हरिद्वार।

पी0एस0यू0 (आर0ई0) 13 हिन्दी गजट/145–भाग 8–2023 (कम्प्यूटर/रीजियो)।

मुद्रक एवम् प्रकाशक–अपर निदेशक, राजकीय मुद्रणालय, उत्तराखण्ड, रूड़की।